

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) अनुसार जानकारी



छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग
जिला – बिलासपुर
के
क्रियाकलाप पर विवरण

दिनांक 30.11.2023 की स्थिति में

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी)

छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी विभाग के क्रियाकलाप पर विवरण

(01) संरचना, कार्य एवं कर्तव्य (organisation, functions and duties) :- छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विभाग के द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित मदों से राजस्व प्राप्त होता है :-

- (1) आबकारी
- (2) मनोरंजनकर (दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू होने से जी.एस.टी. विभाग को स्थानांतरित)
- (a) **जिला स्तरीय संरचना (organisation) :-** जिला बिलासपुर में आबकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद एवं कार्यरत पद निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पद
1	2	3	4	5
(अ)	प्रथम श्रेणी			
1.	सहायक आयुक्त आबकारी	01	01	-
(ब)	द्वितीय श्रेणी			
1.	जिला आबकारी अधिकारी	01	03	02 (परिवीक्षाधीन)
2.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	06	06	-
(स)	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक			
1.	आबकारी उपनिरीक्षक	12	08	-4
2.	मुख्य आरक्षक	05	05	-
3.	आबकारी आरक्षक	29	10	-19
(द)	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय एवं अन्य			
1.	मुख्य लिपिक	01	02	+01
2.	लेखापाल	01	0	-1
3.	सहायक ग्रेड-2	01	02	+01
4.	सहायक ग्रेड-3	05	03	-02
5.	वाहन चालक	04	03	-01
(इ)	चतुर्थ श्रेणी			
1.	दफ्तरी	01	0	-01
2.	भृत्य	14	07	-07
3.	आबकारी चौकीदार	01	01	-
	योग	82	51	-31

(b) आबकारी विभाग का कार्य एवं कर्तव्य (functions & duties) :- विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:-

1. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा, भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंस जारी कर लायसेंस फीस एवं ड्यूटी के रूप में राजस्व अर्जित करना।
2. देशी/विदेशी मदिरा, निर्माण एवं बॉटलिंग हेतु लायसेंस देकर लायसेंस फीस एवं बॉटलिंग फीस अर्जित करना।
3. देशी/विदेशी मदिरा के आयात/निर्यात की स्वीकृति दी जाकर, आयात शुल्क/निर्यात शुल्क एवं परिवहन शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना।
4. देशी/विदेशी मदिरा, भांग के फुटकर लायसेंसियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर शास्ति/संधानराशि आरोपित कर राजस्व अर्जित करना।
5. मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत छविगृहों एवं वीडियो सेन्टर से मनोरंजन शुल्क प्राप्त करना, केबल आपरेटरों/होटल केबल/डी.टी.एच आपरेटर से मनोरंजन शुल्क प्राप्त करना एवं अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों से मनोरंजन शुल्क प्राप्त कर राजस्व अर्जित करना। (दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू होने से जी.एस.टी. विभाग को स्थानांतरित)
6. मेडीशनल एण्ड टायलेट प्रिपेशन नियम के अन्तर्गत लायसेंस जारी कर लायसेंस फीस के रूप में राजस्व अर्जित करना।
7. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अवैध मदिरा निर्माण, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय, अवैध धारण के प्रकरणों की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी कर जाँच करने पर अपराधी के विरुद्ध कायम अपराधिक प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा लायसेंस के विरुद्ध पाई गई विभागीय अनियमितताओं हेतु विभागीय प्रकरण दर्ज कर विभागीय प्रकरणों में संधान राशि/शास्ति आरोपित करना।
8. मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत छविगृहों, वीडियो सेन्टर एवं मनोरंजन के अन्य कार्यक्रमों, जिसमें मनोरंजन कर देय है, की जाँच कर पाई गई अनियमितताओं हेतु प्रकरण दर्ज कर, विभागीय प्रकरणों में संधान राशि/शास्ति आरोपित करना एवं न्यायालयीन प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना। (दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू होने से जी.एस.टी. विभाग को स्थानांतरित)
9. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस.) के अन्तर्गत मादक पदार्थों के अवैध खेती, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय एवं अवैध धारण की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी ली जाकर या जाँच कर पाई गई अनियमितताओं हेतु प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना।
10. विभाग में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, छ.ग आबकारी अधिनियम 1915 एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत होने वाले अपराधों पर उचित नियंत्रण रखकर आबकारी राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करना है।

(02) जिला स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारी के अधिकार एवं कर्तव्य :- आबकारी विभाग में जिलास्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य पदवार निम्नानुसार है।

(A) कलेक्टर (आबकारी) :- जिला स्तर पर कलेक्टर आबकारी प्रशासन के प्रमुख हैं। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें निम्नानुसार अधिकार प्राप्त हैं :-

1. किसी-भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी-भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
2. देशी/विदेशी मदिरा, भांग के फुटकर विक्रय करने हेतु लायसेंस जारी करने का अधिकार।
3. मादक पदार्थों के आयात, निर्यात एवं परिवहन हेतु पास जारी करने का अधिकार।
4. मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय की दुकानों को लोक शांति हेतु निश्चित समय के लिए बंद करने का अधिकार।
5. मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय के लिए जारी किए गए लायसेंसों को निरस्त करने या निलंबित करने का अधिकार है।
6. मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय हेतु जारी किए गए लायसेंसों के लायसेंसियों द्वारा लायसेंस शर्तों के उल्लंघन पर दर्ज किए गए प्रकरणों में संधान राशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
7. 05 लीटर से अधिक देशी/विदेशी मदिरा अथवा किसी भी मदिरा के अवैध धारण/परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर मदिरा एवं वाहन को राजसात करने का अधिकार।
8. देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग दुकानों को उसी परिक्षेत्र (लोकेलिटी) में स्थानांतरित करने हेतु आदेश देने का अधिकार।
9. देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु जारी लायसेंस के निरस्त होने या अवधि समाप्त होने पर उसमें शेष रहे स्कन्ध के निराकरण के अधिकार।
10. एफ.एल.1घ, एफ.एल.1(घघ), एफ.एल.2, एफ.एल.3, एफ.एल.3क, एफ.एल.5, एफ.एल.5क, एफ.एल.6, एफ.एल.7 एवं एफ.एल.8 लायसेंस जारी करने के अधिकार।
11. विदेशी मदिरा के आयात एवं निर्यात करने की स्वीकृति देने का अधिकार।
12. देशी/विदेशी मदिरा के अधिक मार्गहानि के प्रकरणों में शास्ति आरोपित करने का अधिकार, जिसके लिए आबकारी आयुक्त द्वारा उन्हें प्राधिकृत किया गया है।
13. भांग/भांग-घोटा के फुटकर विक्रय हेतु दुकानों के आबंटन के लिये आवेदन प्रणाली के अंतर्गत लायसेंस जारी करने हेतु कलेक्टर को अधिकार है।
14. जिला आबकारी सलाहकार समिति "नगरीय एवं ग्रामीण" में पदेन अध्यक्ष हैं।
15. मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत छविगृह स्वामियों द्वारा दर्शकों से लिए गए सेवाशुल्क के सही उपयोग की जाँच करने का अधिकार। (दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू होने से जी.एस.टी. विभाग को स्थानांतरित)
16. मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए विभागीय प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
17. आबकारी मद में जमा राजस्व रुपये 5,000/- तक रिफण्ड देने का अधिकार।
18. स्टोर में हुई हानि, जो वसूली योग्य नहीं है, प्रत्येक प्रकरण में रुपये 5,000/- तक अपलेखन करने का अधिकार।
19. आबकारी राजस्व, जो वसूली योग्य नहीं है, प्रत्येक प्रकरण में रुपये 10,000/- तक अपलेखन करने का अधिकार।
20. जिला स्तर पर राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं आबकारी स्टाफ पर उचित नियंत्रण रखना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है।

(B) **सहायक आयुक्त आबकारी** :- बिलासपुर जिले में सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय प्रमुख हैं एवं कार्यालय प्रमुख होने के नाते, कार्यालय प्रमुख को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे सभी अधिकार

इन्हें प्राप्त हैं। उक्त के अतिरिक्त उन्हें अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार अधिकार प्राप्त हैं :-

1. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु तलाशी लेने एवं जप्ती करने के अधिकार।
2. किसी-भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी-भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
3. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत देशी/विदेशी मदिरा, भांग, के फुटकर विक्रय हेतु जारी किए गए लायसेंसों के अन्तर्गत लायसेंसियों द्वारा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करने पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी/वृत्त आबकारी उप-निरीक्षक द्वारा दर्ज किए गए प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार है।
4. एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
5. एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
6. एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।
7. जिला स्तर पर राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं आबकारी स्टाफ पर उचित नियंत्रण रखना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है। साथ-ही आबकारी आयुक्त, अपर आयुक्त आबकारी एवं कलेक्टर द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(C) **सहायक जिला आबकारी अधिकारी :-** जिले में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी लेने, जप्ती करने, गिरफ्तार करने, निरीक्षण कर पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण दर्ज करने के अधिकार हैं। इस जिले में तीन मण्डल क्रमशः बिलासपुर मण्डल, कोटा मण्डल एवं सीपत मण्डल एवं आठ आबकारी वृत्त (बिलासपुर पूर्व, बिलासपुर पश्चिम, बिलासपुर उत्तर, तखतपुर, कोटा, बिल्हा, मस्तूरी, सीपत) संचालित है। आबकारी मण्डल एवं वृत्त पूर्व, पश्चिम, उत्तर, तखतपुर में सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रभारी के रूप में तथा शेष आबकारी वृत्त कोटा, मस्तूरी, सीपत, बिल्हा में आबकारी उपनिरीक्षक पदस्थ है।

1. एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
2. एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
3. एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।
4. जिला स्तर पर अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं छविगृहों पर उचित नियंत्रण रखना एवं आबकारी अपराधों की रोकथाम करना इनका मुख्य कर्तव्य है। साथ-ही कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(D) **मद्यभाण्डागार अधिकारी :-**जिला बिलासपुर में वर्तमान में एक मात्र भण्डारण भाण्डागार गतौरी में संचालित है जहां पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी की भण्डारण भाण्डागार अधिकारी के रूप में पदस्थापना की गयी है। दिनांक 01.04.2006 से उक्त भाण्डागार में देशी मदिरा भराई नहीं की जाती है, अपितु आसवनी से भराई की जाकर भण्डागार में संग्रहित की जाती है। वर्तमान में प्रदायकर्ता आसवक मेसर्स भाटिया वाईन्स मर्चेन्ट धुमा मुंगेली द्वारा आसवनी में ही देशी मदिरा की निर्धारित गुणवत्ता अनुसार भराई की जाकर जिले के भण्डारण भाण्डागार तक सील बंद बोतलों में आपूर्ति की जाती है जहां पर से भण्डारण भाण्डागार अधिकारी द्वारा फुटकर

लायसेंसी सी.एस.एम.सी.एल. को प्रदाय किया जाता है। अतः भरी बोटलों की आमद एवं प्रदाय करना, भांग प्रदाय, लायसेंस फीस, ड्यूटी राशि, अधिभार राशि एकत्रित करना तथा संपूर्ण भण्डारण भाण्डागार पर नियंत्रण स्थापित करना भण्डारण भाण्डागार अधिकारी का अधिकार होता है। साथ ही भांग लायसेंसी को भांग का प्रदाय करना, लायसेंस फीस राशि जमा करवाना इनका कार्य है।

(E) **वृत्त आबकारी उप-निरीक्षक** :-जिले में आबकारी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई वृत्त है। इस जिले के 04 आबकारी वृत्तों में सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त प्रभारी के रूप में एवं 04 वृत्तों में आबकारी उप-निरीक्षक पदस्थ हैं। वृत्तों में पदस्थ आबकारी अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी लेने, जप्ती करने, गिरफ्तार करने, निरीक्षण कर पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण दर्ज करने के अधिकार हैं। इसके अलावा निम्नलिखित अधिकार हैं:-

1. वृत्त में पंजीबद्ध किए गए न्यायालयीन प्रकरणों में सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान वृत्त आबकारी उप-निरीक्षक/प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।
2. वृत्त स्तर पर अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं होटल बार/क्लब, छविगृहों पर कुशल नियंत्रण रखना, आबकारी अपराधों पर नियंत्रण रखना इनका मुख्य कर्तव्य है। कलेक्टर, उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(F) **आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक** :- जिले के आबकारी वृत्तों में आबकारी अपराधों के नियंत्रण हेतु पदस्थ रहते हैं। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पास या अनुज्ञा प्रस्तुत करने की मांग करने एवं सार्वजनिक स्थान पर तलाशी लेने का अधिकार है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उप-निरीक्षक के साथ उपलंभन कार्य, गश्त कार्य एवं आबकारी अपराधों पर नियंत्रण रखना इनका प्रमुख दायित्व हैं।

(G) **कार्यालयीन कर्मचारी** :- जिला कार्यालयों में कार्यरत रहते हुए, जिला कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में कार्य संपादन हेतु प्रमुख रूप से निम्नांकित शाखाएँ जिला कार्यालयों में निर्मित हैं, जिनमें परिवर्तन का अधिकार कार्यालय प्रमुख में निहित है। प्रत्येक शाखा का प्रभारी कर्मचारी अपनी शाखा से संबंधित कार्यों के सम्पादन एवं अधीनस्थ पर नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है :-

- (1) स्थापना एवं गोपनीय शाखा
- (2) लेखा, बजट, व पेंशन शाखा
- (3) ठेका एवं आसवनी-मद्य भण्डागार/होटल बार/परमिट शाखा
- (4) आबकारी/मनोरंजन कर बकाया शाखा
- (5) अपराध/स्टोर्स, स्टेशनरी एवं रिकार्ड रूम शाखा
- (6) पत्रों की आवक-जावक शाखा
- (7) न्यायालयीन एवं ऑडिट शाखा
- (8) सी.एस.एम.सी.एल. शाखा
- (9) सूचना का अधिकार शाखा/शिकायत शाखा
- (10) निर्वाचन शाखा/विधानसभा एवं लोकसभा प्रश्नों से संबंधित शाखा

(03) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :-

(1) फुटकर बिक्री के लिये लायसेंसो का व्यवस्थापन :-

(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये देशी/विदेशी मदिरा के बिक्री के लिये फुटकर दुकान/दुकानों का लायसेंस सी.एस.एम.सी.एल. (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये प्राधिकारी को प्रदत्त किया जायेगा।

(ख) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति इन संशोधित नियमों के संलग्न प्रपत्र उपबंध 01 व 02 पर क्रमशः सी.एस.2(घघ) व एफ.एल.1(घघ) में मंजूर किये जावेंगे।

(2) लायसेंस की अवधि :- लायसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके उस भाग जिसके लिये लायसेंस मंजूर किया गया है के लिये होगी। लायसेंस का नवीनीकरण ऐसे निबंधन और शर्तों पर किया जा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये जाये।

(3) आवेदन पत्र :- सी.एस.एम.सी.एल. अथवा उसका अधिकृत प्राधिकारी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र परिशिष्ट-01 एवं देशी/विदेशी मदिरा दुकान हेतु निर्धारित लायसेंस फीस 10,000/- रु. तथा कम्पोजिट मदिरा दुकान हेतु निर्धारित लायसेंस फीस रूपये 20000/- प्रति दुकान प्रति वर्ष एक मुश्त जमा कर आवेदन करेगा।

(4) लायसेंस मंजूर करने के लिये प्रक्रिया :- अनुज्ञापन प्राधिकारी प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर लायसेंस स्वीकृत करेगा।

(5) आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें :-

1. जिले के फुटकर दुकानों के अनुज्ञापन के लिये सी.एस.एम.सी.एल. के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के आवेदन पर लायसेंस प्रदान किया जायेगा।

2. सी.एस.एम.सी.एल. द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक या छुआछुत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।

(6) मदिरा का उठान :-

(क) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी चुकाकर, संबंधित भाण्डागार से देशी मदिरा की कीमत का भुगतान कर तथा विदेशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी परिवहन फीस चुकाकर छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से विदेशी मदिरा की कीमत का भुगतान कर अभिप्राप्त करेगा। अनुज्ञप्तिधारी देशी/विदेशी मदिरा प्रदाय हेतु जिला आबकारी कार्यालय में मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा। जिला कार्यालय से प्रदाय हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा।

(ख) देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार/छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड जिसके पास परिवहन अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया गया है, परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की तारीख तथा समय अभिलिखित करेगा। और मांगी गई मदिरा की मात्रा का यथा संभव प्रदाय को सुनिश्चित करेगा।

(ग) **काउंटर वैलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) :-** डिस्टिलर/बॉटलिंग यूनिट के द्वारा आपूर्ति किये जा रहे देशी मदिरा/विदेशी मदिरा के विनिर्माता इकाई द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं, मदिरा के कारखानों के बाहर मूल्य (एक्स फैक्ट्री प्राईस) पर देशी मदिरा हेतु 50 प्रतिशत की दर से एवं

विदेशी मदिरा हेतु 45 प्रतिशत की दर से काउंटर वेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क अधिरोपित की गई है। उक्त ड्यूटी के प्रदाय के उपरान्त ही मदिरा वेयरहाउस/छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन गोदाम में प्रदाय की जा सकती है। प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय की गई मदिरा के परेषण के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक टूट-फुट पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) वापसी योग्य नहीं होगी एवं शास्ति अधिरोपण के दायित्वाधीन होगी।

(घ) दिनांक 01.04.2023 से देशी/विदेशी मदिरा के लिये वेयरहाउस से प्रदाय मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :-

क्र	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2023-24 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर
01	देशी मदिरा :- मसाला - 25' UP प्लेन - 50' UP	रूपये 320/- प्रति पुफ लीटर
02	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2023-24 में विदेशी मदिरा की भाण्डागार प्रदाय पर प्रति पेटी (काउंटर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :-	
	1. रूपये 950/- तक	रूपये 350/- प्रति पुफ लीटर
	2. रूपये 951/- से 1250/- तक	रूपये 550/- प्रति पुफ लीटर
	3. रूपये 1251/- से 1850/- तक	रूपये 660/- प्रति पुफ लीटर
	4. रूपये 1851/- से 2400/- तक	रूपये 800/- प्रति पुफ लीटर
	5. रूपये 2401/- से 3500/- तक	रूपये 900/- प्रति पुफ लीटर
	6. रूपये 3501/- से 4500/- तक	रूपये 950/- प्रति पुफ लीटर
	7. रूपये 4501/- से 6500/- तक	रूपये 1000/- प्रति पुफ लीटर
	8. रूपये 6501/- से 8500/- तक	रूपये 1050/- प्रति पुफ लीटर
	9. रूपये 8501/- से 11000/- तक	रूपये 1100/- प्रति पुफ लीटर
	10. रूपये 11001/- और उससे अधिक	रूपये 1150/- प्रति पुफ लीटर
03	बीयर (माल्ट मदिरा) प्रति बल्क लीटर भाण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) 1) रु. 100/- प्रति बल्क लीटर तक 2) रु. 101/- से 120/- प्रति ब.ली. तक 3) रु. 121/- प्रति ब.ली. एवं उससे अधिक	ड्यूटी दर 1) 100/- प्रति बल्क लीटर 2) 120/- प्रति बल्क लीटर 3) 150/- प्रति बल्क लीटर
04	सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/क्लबों के लिए :-	
	(क) विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	वर्ष 2023-24 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात रूपये 350/- प्रति पुफ लीटर
	(ख) बीयर (माल्ट मदिरा)	वर्ष 2023-24 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्यूटी दर की दर से अर्थात रूपये 100/- प्रति पुफ लीटर

(7) फुटकर विक्रय मूल्य :- शासन द्वारा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के लिये फुटकर विक्रय दर नियत की जावेगी। देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के शासन द्वारा निर्धारित फुटकर बिक्री दर देशी मदिरा/विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रकार के नामपत्रों (लेबलों) पर अंकित किया जावेगा। विक्रयकर्ता, निर्धारित किये गये उक्त फुटकर विक्रय मूल्य से कम अथवा अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।

- (8) देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने तथा बंद होने का समय :- छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के नियम 10 सहपठित सी.एस.2(घघ लायसेंस शर्त क्रमांक 08, सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट) लायसेंस शर्त क्रमांक 09, एफ.एल.1 (घघ) लायसेंस शर्त क्रमांक 16 एवं एफ.एल.1 (घघ कम्पोजिट) लायसेंस शर्त क्रमांक 09 में देशी मदिरा व विदेशी मदिरा एवं कम्पोजिट मदिरा दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक निर्धारित रहेगा।

“परन्तु कानून-व्यवस्था संधारित करने की दृष्टि से जिला कलेक्टर आवश्यकता के अनुरूप मदिरा दुकान खुलने के निर्धारित समय प्रातः 10:00 बजे के एक घंटे पूर्व अर्थात् प्रातः 09:00 बजे एवं निर्धारित समय प्रातः 10:00 बजे के एक घंटे पश्चात् अर्थात् प्रातः 11:00 बजे तथा बंद किये जाने के निर्धारित समय रात्रि 10:00 बजे के एक घंटे पूर्व अर्थात् रात्रि 09:00 बजे एवं निर्धारित समय रात्रि 10:00 बजे के एक घंटे पश्चात् अर्थात् रात्रि 11:00 बजे तक दुकान खुली रखने का आदेश जारी कर सकेगा।”

(9) शुष्क दिवस :-

- (क) वर्ष 2023-24 में प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों के साथ-साथ एफ.एल.2, 3.(क), 4, 4(क), 6, 7, 8 एवं 10 को निम्नानुसार दिवसों में शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवसों पर बंद रखा जावेगा :-

क्रमांक	शुष्क दिवस	संख्या दिवस
1	2	3
01	26 जनवरी “गणतंत्र दिवस”	01 दिवस
02	30 जनवरी “ महात्मा गांधी निर्वाण दिवस	01 दिवस
03	15 अगस्त “ स्वतंत्रता दिवस”	01 दिवस
04	मोहर्रम	01 दिवस
05	02 अक्टूबर “ गांधी जयंती”	01 दिवस
06	18 दिसम्बर “ गुरु घासीदास जयंती”	01 दिवस
07	होली (जिस दिन रंग खेला जाय)	01 दिवस

- (ख) उक्त के अतिरिक्त कलेक्टर को यह भी अधिकार है कि वे वित्तीय वर्ष के दौरान किन्ही भी तीन दिवसों में उनके जिले/क्षेत्र की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को बंद करने के आदेश दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त लोकसभा/विधानसभा/स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, जिसमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है के चुनाव/उपचुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मदिरा दुकानों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी लोकहित में बंद करने के लिए सक्षम है।

- (10) लायसेंस की समाप्ति पर बचे अधिशेष स्टॉक का व्ययन :- अनुज्ञापिधारी द्वारा लायसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी मदिरा के अतिशेष स्टॉक का व्ययन सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 25 के अंतर्गत तथा विदेशी मदिरा के अतिशेष स्टॉक का व्ययन छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उपनियम (06) के अनुसार किया जायेगा।

(11) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन, निरीक्षण की समीक्षा एवं अवैध मदिरा पर प्रभावी रोकथाम के लिये जिला स्तरीय समिति :-

(क) देशी/विदेशी की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन (यथा दुकानों को किराये पर लेना, प्लेसमेंट एजेंसी से कर्मचारी लेना, दुकानों के संचालन के लिये वस्तुओं का क्रय निरीक्षण की समीक्षा तथा अवैध मदिरा पर प्रभावी रोकथाम आदि) के लिये जिला स्तरीय समिति होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| 1) | जिला कलेक्टर | - | अध्यक्ष |
| 2) | जिला पुलिस अधीक्षक | - | सदस्य |
| 3) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | - | सदस्य |
| 4) | जिला मुख्यालय का नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी | - | सदस्य |
| 5) | अधीक्षण/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग | - | सदस्य |
| 6) | जिला कोषालय अधिकारी | - | सदस्य |
| 7) | सदस्य सचिव-जिला महाप्रबंधक (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) | | |

(ख) उक्त समिति द्वारा समस्त फुटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन तथा समय समय पर किये गये निरीक्षणों की समीक्षा करेगी।

(ग) समिति के द्वारा मासिक बैठक आयोजित कर मदिरा दुकानों के संचालन की समीक्षा की जायेगी तथा उससे संबंधित प्रतिवेदन आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ एवं प्रबंध निर्देशक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रेषित की जायेगी।

(घ) उक्त समिति के अधीन दुकानों को किराये पर लिये जाने के लिये तथा दुकानों के संचालन के लिये पर्यवेक्षक/विक्रयकर्ता के चयन के लिये उप समिति गठित की जाती है। उप समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| 1) | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/एडिशनल कलेक्टर | - | अध्यक्ष |
| 2) | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक | - | सदस्य |
| 3) | पुलिस उप अधीक्षक (यातायात) | - | सदस्य |
| 4) | कार्यपालन अभियंता (पी.डब्ल्यू.डी.) | - | सदस्य |
| 5) | जिला रोजगार अधिकारी | - | सदस्य |
| 6) | जिला कोषालय अधिकारी | - | सदस्य |
| 7) | श्रम अधिकारी | - | सदस्य |
| 8) | जिला महिला एवं महिला बाल विकास अधिकारी | - | सदस्य |
| 9) | जिला प्रबंधक (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लि0) | - | सदस्य |

(12) निरसन :- इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम को उनके प्रारंभ से तत्काल पूर्व प्रवर्त हो, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरस्तीकरण होते हुये भी कोई आदेश या कार्यवाही जो देशी/विदेशी मदिरा दुकान या दुकानों के लिये वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये पहले से की गई हो, विधि मान्य होगी।

(04) भांग की थोक एवं भांग/भाग घोंटा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन - जिले में स्थित भांग एवं भांग मिठाई की फुटकर दुकानों को छत्तीसगढ़ भांग नियम 2021 के प्रावधान अनुसार आवेदन प्रणाली अंतर्गत आबंटित किये जाते हैं। भांग की थोक दुकानों के आबंटन हेतु आबकारी आयुक्त एवं भांग/भाग-घोंटा की फुटकर दुकानों की आबंटन हेतु जिला कलेक्टर

अनुज्ञापन प्राधिकारी है। भांग/भांग घोटा की किसी भी दुकान का लायसेंस प्राप्त करने हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी का चयन किया जाता है।

प्रतिवर्ष माह फरवरी-मार्च में आवेदन प्रणाली के तहत लायसेंस दिया जाता है, जिसके लायसेंस की अवधि 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक रहती है। इन लायसेंसों का आबंटन कलेक्टर द्वारा आवेदन प्रणाली के तहत लॉटरी द्वारा किया जाता है। भांग से संबंधित दुकानों के लायसेंस हेतु शासन द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों के साथ-ही सर्व साधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर लायसेंसियों के विशेष जानकारी के लिए कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाता है। लायसेंस प्राप्त करने हेतु इस प्रणाली में भाग लेने वाले आवेदकों को आवेदन शुल्क रुपये 500/- निर्धारित है। चयनित आवेदक के द्वारा प्रथम चयनित आवेदक द्वारा 02 कार्य दिवस के भीतर वार्षिक लायसेंस फीस जमा करना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ भांग नियम 2021 में भांग/भांग घोटा की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानों की अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिये अनुज्ञप्ति शुल्क के 25 प्रतिशत के समतुल्य राशि की नगद चालान प्रतिभूति या बैंक प्रतिभूति निक्षेप (गारण्टी) जमा करने पर ही अनुज्ञप्ति जारी किया जावेगा। प्रतिभूति की प्रतिभूति राशि की वैधता अवधि आगामी 30 जून तक होगी। जो कि लायसेंस अवधि में किसी भी प्रकार की बकाया आदि में सामयोजन योग्य एवं कोई भी बकाया न रहने की स्थिति में 30 जून के पश्चात् वापसी योग्य होगा। भांग की फुटकर दुकानों के लिए ड्यूटी दर रुपये 50/- प्रति किलोग्राम निर्धारित है। भांग अनुज्ञप्ति कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रारूप एच.डी. 1 एवं एच.डी. 2 में जारी की जाती है।

(05) अन्य अनुज्ञप्तियाँ एवं जारी करने की प्रक्रिया :- उपरोक्त के अलावा विभाग द्वारा जारी

किये जाने वाले अन्य अनुज्ञप्तियों के प्रकार एवं स्वीकृति की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

- (1) एफ.एल.2 रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति :- (निरसित वर्ष 2020-21)
- (2) एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति :- होटल में विदेशी मदिरा के विक्रय के लिए प्ररूप एफ.एल.3 में अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है। एफ.एल.3 होटल बार जिस स्थान पर खोला जाना है, वह वर्ष 2023-24 के लिए जारी शासन निर्देशों के अनुरूप हो।

ऐसे स्थान/क्षेत्र की जनसंख्या शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम है अथवा जनसंख्या के मान से पर्याप्त लायसेंस है, तो ऐसे प्रकरणों में कलेक्टर की अनुशंसा पर विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन द्वारा नियमों में अथवा जनसंख्या संबंधी निर्धारित मापदण्डों को शिथिल करने की स्वीकृति दी जाती है। इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत होटल के निवासियों उनके अतिथियों एवं आगन्तुकों को उनके स्वयं के उपयोग हेतु अनुज्ञप्त परिसर में भोजन अथवा हल्के भेजन के साथ उपभोग हेतु विदेशी मदिरा का विक्रय किया जा सकता है। एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति के लिए होटल में न्यूनतम 10 कमरे होना आवश्यक है। एफ.एल.3 का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटस्थ एफ.एल.1(घघ)/एफ.एल.1(घघ-कम्पोजिट)/सी.एस. 2(घघ-कम्पोजिट) मदिरा दुकान से अथवा निर्धारित एकल मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा

(स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 500/- निर्धारित है। इस लायसेंस के अंतर्गत किसी भी समय विदेशी मदिरा (स्प्रिट/मॉल्ट) की वार्षिक निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा के 10 प्रतिशत से अधिक का स्टॉक नहीं रखा जा सकता है। इस लायसेंस के लिए लायसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित है :-

क्रं	मापदण्ड	वर्तमान वर्ष 2023-24 में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो	रुपये 12,60,000
(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु तीन लाख से अधिक न हो	रुपये 18,00,000
(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो	रुपये 24,00,000

(3) एफ.एल.3(क) शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति :- शॉपिंग मॉल में स्थित होटल में विदेशी मदिरा के विक्रय के लिए प्रारूप एफ.एल.3(क) में अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है। एफ.एल.3(क) शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार जिस स्थान पर खोला जाना है, वह वर्ष 2023-24 में लिए जारी शासन निर्देशों के अनुरूप हो। ऐसे स्थान/क्षेत्र की जनसंख्या शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम है अथवा जनसंख्या के मान से पर्याप्त लायसेंस है तो ऐसे प्रकरणों में कलेक्टर की अनुशंसा पर विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन द्वारा नियमों में अथवा जनसंख्या संबंधी निर्धारित मापदण्डों को शिथिल करने की स्वीकृति दी जाती है। इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत उपभोग हेतु विदेशी मदिरा का विक्रय किया जा सकता है। एफ.एल.3(क) का लायसेंस कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटस्थ एफ.एल.1(घघ)/एफ.एल.1(घघ-कम्पोजिट)/सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट) मदिरा दुकान से अथवा निर्धारित एकल मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 500/- निर्धारित है। इस लायसेंस के अंतर्गत किसी भी समय विदेशी मदिरा (स्प्रिट/मॉल्ट) की वार्षिक निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा के 10 प्रतिशत से अधिक का स्टॉक नहीं रखा जा सकता है। इस लायसेंस के लिए लायसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित है :-

क्रं	मापदण्ड	वर्तमान वर्ष 2020-21 में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो	रुपये 18,00,000
(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु तीन लाख से अधिक न हो	रुपये 24,00,000
(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो	रुपये 31,20,000

टीप :-1. एफ.एल.3/3(क) के लिये माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव अनिवार्य होगा माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उठाव की विफलता पर स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोटल पर रुपये 700/- एवं माल्ट की प्रति क्वार्ट बोटल पर रु. 150/- की दर से शास्ति आरोपण होगा जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।

2. वर्ष 2023-24 के लिये 3 स्टार एवं उसके उपर के स्तर के होटलों को एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति हेतु मिनिमम गारंटी संबंधी प्रावधान लागू नहीं होगा।
 3. राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2023-24 में दिनांक 01.04.2023 से विदेशी मदिरा एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.3(क) शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.4/4(क) दोपहर 12:00 से रात्रि 12:00 बजे तक खुली रहेगी। 03 स्टार या उसके उपर के होटलों में संचालित एफ.एल.3 अनुज्ञप्ति के खुलने का समय दोपहर 12:00 व बंद होने का समय 12:00 बजे रात्रि तक रहेगी।
- (4) **एफ.एल.4 अव्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति (असैनिक विनोद गृह) :-** विनोद गृह (क्लब) जो अव्यवसायिक हो में क्लब के वास्तविक सदस्यों या उनके अतिथियों को अनुज्ञप्त परिसर में विदेशी मदिरा के उपभोग के लिए प्रारूप एफ.एल.4 में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। एफ.एल.4 का लायसेंस कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 01 विदेशी मदिरा एफ.एल.1घघ दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रूपये 500/- निर्धारित है। इस अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रूपये 1,50,000/- वर्तमान में निर्धारित है।
- (5) **एफ.एल.4क व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति :-** व्यवसायिक क्लब लायसेंस किसी ऐसे कंपनी फर्म, व्यक्तियों की संस्था अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान को आबकारी आयुक्त द्वारा दी जा सकेगी जिसके पास निम्न समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हो -
- (1) (अ-1) तरण ताल- (जिसकी न्यूनतम लंबाई 75 फीट एवं चौड़ाई 25 फीट होगी तथा उक्त क्लब में स्थापित तरणताल में Water Filtration Plant स्थापित एवं संचालित होना अनिवार्य होगा)
 - (अ-2) व्यायाम शाला, जिसमें शारीरिक व्यायाम हेतु कम से कम 20 आइटम हो।
 - (अ-3) बैडमिन्टन हॉल
 - (अ-4) विलियर्ड्स/पुल टेबल
 - (अ-5) टेबल-टेनिस
 - (अ-6) स्कवैश कोर्ट
 - (अ-7) कार्ड्स रूम
 - (अ-8) लान टेनिस कोर्ट
- (2) व्यवसायिक क्लब में कम से कम 500 सदस्य होना अनिवार्य है, प्रत्येक सदस्य के मोबाईल नंबर तथा आधार कार्ड की छायाप्रति एवं सदस्यता संबंधी अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (3) उपरोक्त प्रावधान वर्ष 2023-24 के लिये जारी किये जाने वाले नवीन लायसेंसियों के लिये लागू होंगे, तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रावधान वर्ष 2022-23 में नवीनीकृत ऐसे लायसेंस जो वर्ष 2021-22 में संचालित होकर वर्ष 2022-23 में नवीनीकृत हुये हैं के लिये लागू नहीं होंगे।
- उक्त लायसेंस के अंतर्गत अनुज्ञप्त परिसर में विदेशी मदिरा को अधिपत्य में रख सकेगा एवं वहां पर इसे क्लब के सदस्यों एवं उनके वास्तविक अतिथियों को यदि क्लब का संबंधित सदस्य उसके साथ है विक्रय कर सकेगा। एफ.एल.4(क) का लायसेंस कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटस्थ एफ.एल.1(घघ)/एफ.एल.1(घघ-कम्पोजिट)/सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट) मदिरा दुकान से अथवा निर्धारित एकल मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए

प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रूपये 500/- निर्धारित है। इस लायसेंस के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नानुसार है :-

क्रं	मापदण्ड	वर्तमान वर्ष 2023-24 में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
1	ऐसे नगर/स्थान के लिए जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो	रूपये 8,50,000
2	ऐसे नगर/स्थान के लिए जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु तीन लाख से अधिक न हो	रूपये 12,25,000
3	ऐसे नगर/स्थान के लिए जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक, किन्तु 10 लाख से अधिक न हो	रूपये 16,00,000
4	ऐसे नगर/स्थान के लिए जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक हो	रूपये 18,00,000

(6) (अ) **एफ.एल.5 प्रासंगिक अनुज्ञप्ति :-** यह अनुज्ञप्ति नृत्य खेलकूद अथवा अन्य प्रकार के अस्थायी प्रकृति में लोक मनोरंजन के अवसर पर अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिसरों में बैंक्वेट हॉल में विदेशी मदिरा रख सकेगा और विक्रय कर सकेगा इस हेतु अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे एफ.एल.1घघ अनुज्ञप्तिधारियों से करेगा जैसा कि कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे। इस अनुज्ञप्ति के लिए लायसेंस फीस रूपये 20000/- प्रतिदिन निर्धारित है।

(ब) **एफ.एल.5क (मदिरा के उपभोग के लिए प्रासंगिक अनुज्ञप्ति :-** एफ.एल.5क का अनुज्ञप्तिधारक, नृत्य, खेलकूद अथवा अन्य प्रकार के अस्थायी प्रकृति के लोक मनोरंजन के अवसर पर अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिसरों में विदेशी मदिरा रख सकेगा और उपभोग कर सकेगा इस हेतु अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे एफ.एल.1घघ अनुज्ञप्तिधारियों से करेगा जैसा कि कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे। इस अनुज्ञप्ति के लिए लायसेंस फीस रूपये 10000/- प्रतिदिन निर्धारित है।

(7) **एफ.एल.6 सैनिक केन्टीन थोक अनुज्ञप्ति :-** सैनिक केन्टीन का एफ.एल.6 अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा रख सकेगा और एफ.एल.7 या एफ.एल.8 के अनुज्ञप्तिधारकों को थोक विक्रय कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी या तो एफ.एल.9, एफ.एल.9क या एफ.एल.10क अनुज्ञप्तिधारक से क्रय करके अथवा आयात करके अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक फीस रूपये 10000/- निर्धारित है।

(8) **एफ.एल.7 सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति :-** सशस्त्र सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल इण्डों तिब्बत सीमा-पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई पैरा मिलिट्री बल से अनुमोदित एवं सम्बद्ध सैनिक केन्टीन का एफ.एल.7 अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा रख सकेगा और एफ.एल.8 के अनुज्ञप्तिधारक को अथवा वास्तविक रक्षा एवं पुलिस कर्मियों को जो सुसंगत विनियमों के अधीन सम्यक रूप से ऐसे केन्टीनों से ऐसा क्रय करने हेतु प्राधिकृत हो विदेशी मदिरा का विक्रय कर सकेगा। विक्रय सीलबंद बोतलों में किया जायेगा। परिसर में उपभोग किया जाना निषिद्ध होगा। अनुज्ञप्तिधारी एफ.एल.6 अथवा एफ.एल.10 के अनुज्ञप्तिधारक से प्रदाय लेकर अपना स्टाक प्राप्त करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रूपये 1000/- निर्धारित है।

- (9) **एफ.एल.8 सैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति :-** एफ.एल.8 में सैनिक विनोद गृह के लिए अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक सेना अथवा पैरा मिलिट्री कर्मियों के लिए चलाए जा रहे विनोद गृह (क्लब) अथवा भोजनालय (मेस) में उक्त विनोद गृह अथवा भोजनालय के वास्तविक सदस्यों अथवा उनके अतिथियों को अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा रख सकेगा और विक्रय कर सकेगा तथा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारक एफ.एल.6 अथवा एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.10 के अनुज्ञप्तिधारक से प्रदाय लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 1000/- निर्धारित है।
- (10) **एफ.एल.9 बोटल भराई अनुज्ञप्ति-बॉटलिंग लायसेंस :-** एफ.एल.9 में अनुज्ञप्ति शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक, जिसे विदेशी मदिरा की बोटल भराई की मंजूरी है, स्पिरिट को सम्मिश्रित और तेजी कम करके विदेशी मदिरा का विनिर्माण और बोटल भराई कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारक अन्य राज्यों के अनुज्ञप्तिधारकों को सम्मिलित करते हुए एफ.एल.10 के अनुज्ञप्तिधारकों को विदेशी मदिरा का अंतरण एवं विक्रय कर सकेगा। बोटल भराई के लिए फीस रुपये 6/- प्रति प्रुफ लीटर निर्धारित है जिसका संदाय अनुज्ञप्तिधारक करेगा। इस लायसेंस के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 10,00,000/- निर्धारित है। विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए ई.एन.ए का प्रदाय राज्य में स्थित आसवानियों से प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए परिवहन फीस रुपये 1500/- प्रति परमिट निर्धारित है। ई.एन.ए का आयात राज्य के बाहर अन्य राज्यों से भी किया जा सकता है जिसके लिए आयात फीस रुपये 1.00 प्रति बल्क लीटर निर्धारित हैं, अनुज्ञप्तिधारक केवल उन्ही ब्राण्ड/लेबलों की विदेशी मदिरा की भराई कर सकता है। जिनके लेबल/लेबलों (नामपत्र/नामपत्रों) को नियम 9 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त के कार्यालय में पंजीकृत कराया गया हो। विदेशी मदिरा के प्रत्येक लेबल (नामपत्र के लिए पंजीयन शुल्क रुपये 3,00,000/- निर्धारित है।
- (11) **एफ.एल.9(क) विशेष बोटल भराई अनुज्ञप्ति :-** यह अनुज्ञप्ति ऐसे एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी को शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी जिसे विदेशी मदिरा के ऐसे विनिर्दिष्ट लेबलों अथवा ब्राण्डों के स्वामी द्वारा उन लेबलों अथवा ब्राण्डों की विदेशी मदिरा की बोटल भराई के लिए विशेषाधिकार दिया गया है अथवा प्राधिकृत किया गया हो जिन लेबलों अथवा ब्राण्डों की विदेशी मदिरा का विनिर्माण संबंधित एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी को उनके संबंध में विशेषाधिकार दिये जाने के समय अथवा पूर्व में छत्तीसगढ के बाहर कहीं भी किया जा रहा है। अथवा किया गया हो। यह अनुज्ञप्ति ऐसे एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भी लिया जाना आवश्यक होगा जो उसके स्वयं के स्वामित्व की ऐसी लेबलों/ब्राण्डों की विदेशी मदिरा का विनिर्माण करना चाहता हो जिनकी विदेशी मदिरा का विनिर्माण पूर्व से ही छत्तीसगढ के बाहर कहीं भी किया गया हो अथवा किया जा रहा हो। इस लायसेंस के लिए वार्षिक फीस रुपये 5,00,000/- प्रति फ्रैचाईसी निर्धारित है।
- (12) **स्पिरिट के विनिर्माण (पेय प्रासव उत्पादन) हेतु अनुज्ञप्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया :-** छत्तीसगढ आसवनी नियम 1995 के नियम 3 के अंतर्गत आसवनी में स्पिरिट उत्पादन के लिए डिस्टिलरी की स्थापना करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं। जिसके अनुसार आसवनी का संनिर्माण तथा कार्य करने के लिए आशयित व्यक्ति अपनी स्कीम प्ररूप डी(ए) में अधिसूचित करते हुए एक आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए आवेदन पंजीयन हेतु उसे रुपये 10000/- शासन कोष में जमा कर चालान की मूल प्रति आवेदन के साथ जमा किया जाना आवश्यक है तथा आवेदक की प्रस्तावित स्कीम से सरकार का समाधान

होने पर राज्य शासन द्वारा प्ररूप डी (बी) में आशय पत्र जारी किया जावेगा जो जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक की कालावधि के लिए वैध रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि संसूचित किया गया आशय पत्र अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए कोई अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है तथा वह किसी भी समय धारक को कारण बताओं सूचना पत्र देने के पश्चात और सूनवाई के उपरान्त लोकहित में प्रतिसंहरण एवं प्रत्याहरण किया जा सकता है जिसके लिए संबंधित को हुई हानि के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। उक्त कालावधि के दौरान भवन की योजना (प्लान) तथा नक्शे के अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ सरकार द्वारा जारी किए गए आशय पत्र की प्रति प्रस्तावित आसवनी की परियोजना रिपोर्ट के साथ आसवनी भवन की योजना तथा नक्शा छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन मुख्य कारखाना निरीक्षक के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। नक्शा अनुमोदन के पश्चात आसवनी के लिए भवन का संनिर्माण और संयंत्र तथा मशीनरी का परिनिर्माण पूर्ण करने के उपरान्त आबकारी आयुक्त को रिपोर्ट की जावेगी। यदि आशय पत्र की मंजूरी तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर भवन का संनिर्माण करने में असफल रहने की दशा में किसी भी नुकसानी तथा हानि के प्रतिकर के बिना आशय पत्र निरस्त किया जा सकता है परन्तु आबकारी आयुक्त को समाधान होने पर कि दो वर्ष के भीतर अनुमोदित योजना के अनुसार कार्य पूरा नहीं कर पाने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त कारण है तो ऐसे कारणों को दृष्टिगत रखते हुए आशय पत्र की अवधि में वृद्धि की जा सकती है जो एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी। आसवनी के लिए भवन का संनिर्माण तथा संयंत्र और मशीनरी का परिनिर्माण पूरा हो जाने पर राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए पांच वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 20,00,000/- वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर प्ररूप डी-1 में स्प्रिट के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक अनुपालन के अध्याधीन रहते हुए नवीकृत की जा सकेगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आबकारी आयुक्त कि लिखित अनुज्ञा के बिना कोई अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप डी-1 में मंजूरी की गई अनुज्ञप्ति को आडमान विक्रय, बंधक, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा उक्त अनुज्ञप्ति के कार्यकरण के लिए किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं कर सकता है।

- (13) विदेशी मदिरा बॉटलिंग यूनिट हेतु अनुज्ञप्ति 9 एवं 9(क) स्वीकृति की प्रक्रिया :- छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 3 के अंतर्गत विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई की स्थापना करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं जिसके अनुसार विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई के निर्माण एवं चलाने के लिए आशयित व्यक्ति समस्त सुसंगत ब्यौरे देते हुए अपनी स्कीम अधिसूचित करते हुए एक आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए आवेदन पंजीयन हेतु उसे रूपये 10000/- शासन कोष में जमा कर चालान की मूल प्रति आवेदन के साथ जमा किया जाना आवश्यक है तथा आवेदक की प्रस्तावित स्कीम से सरकार का समाधान होने पर राज्य शासन द्वारा आशय पत्र जारी किया जावेगा। जो जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए वैध रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि संसूचित किया गया आशय पत्र अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए कोई अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है। तथा वह किसी भी समय धारक को कारण बताओं सूचना पत्र देने के पश्चात और सूनवाई के उपरान्त

लोकहित में प्रतिसंहरण एवं प्रत्याहरण किया जा सकता है जिसके लिए संबंधित को हुई क्षति या हानि के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा तथा आशय पत्र का धारक आशय पत्र का विक्रय, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा उक्त आशय पत्र के अनुसरण में विनिर्माण इकाई या बोटल भराई इकाई से संनिर्मित करने या चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई ठहराव नहीं कर सकता है। उक्त कालावधि के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन के संनिर्माण के लिए मानचित्र अनुमोदन हेतु आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ सरकार द्वारा जारी किए गए आशय पत्र प्रति विनिर्माण भवन के मानचित्र संयंत्र और मशीनरी के साथ प्रस्तावित विनिर्माण इकाई (मैन्यूफैक्चरी) की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार स्थानीय निकाय नगर तथा निवेश विभाग छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित या नियमों के अधीन अपेक्षित अन्य कोई प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकारी-पत्र या निर्बन्धन -पत्र की प्रति तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। मानचित्र अनुमोदन के पश्चात विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोटल भराई इकाई के लिए भवन का संनिर्माण और संयंत्र तथा मशीनरी का परिनिर्माण पूर्ण करने के उपरान्त आबकारी आयुक्त को रिपोर्ट की जावेगी। यदि आशय पत्र की मंजूरी तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर भवन का संनिर्माण तथा संयंत्र व मशीनरी की स्थापना करने में असफल रहने की दशा में किसी भी क्षति अथवा हानि की क्षतिपूर्ति के बिना आशय पत्र निरस्त किया जा सकता है परन्तु आबकारी आयुक्त को समाधान होने पर की एक वर्ष के भीतर अनुमोदित योजना के अनुसार कार्य पूरा नहीं कर पाने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त कारण है तो ऐसे कारणों को दृष्टिगत रखते हुए आशय पत्र की अवधि में वृद्धि की जा सकती है जो आबकारी आयुक्त के विवेक पर निर्भर करेगी। विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोटल भराई इकाई के लिए भवन का संनिर्माण तथा संयंत्र और मशीनरी का परिनिर्माण पूरा जाने पर राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए रूपये 10,00,000/- वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए प्ररूप एफ.एल.9 में तथा रूपये 500000/- वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय पर एक वर्ष की कालावधि के लिए एफ.एल.9क में अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक अनुपालन के अधधीन रहते हुए नवीकृत की जा सकेगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आबकारी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई अनुज्ञप्तिधारी इस अनज्ञप्ति को आडमान विक्रय, बंधक, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं कर सकता है। यदि ऐसी अनुमति दी जाती है तो वह अनुज्ञप्ति पर दर्ज की जावेगी।

(14) **बीयर निर्माण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया :-** छत्तीसगढ़ यवासवनी नियम 1970 के नियम 3 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य में यवासवनी स्थापित करना या चलाना चाहता हो उसके लिए लायसेंस प्राप्त करने के लिए कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ को आवेदन प्रपत्र ख-1 में कर सकता है यदि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो आवेदक द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन संनिर्माण के लिए मानचित्र अनुमोदन हेतु आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। लायसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मंजूर किया जा सकता है :-

(1) आवेदक ने आबकारी आयुक्त का यह समाधान कर दिया हो कि संयंत्र की प्रतिदनि कम से कम 2000 बोटल बीयर उत्पादन की क्षमता है।

- (2) आवेदक ने आबकारी आयुक्त का यह समाधान कर दिया हो कि बीयर बनाने संग्रह करने तथा उसका निर्गम करने के कारोबार के संबंध में उपयोग में लाये जाने के लिए प्रस्तावित भवन पात्र संयंत्र और साचित्रों को इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार बनाया गया है और यह कि आग से बचाव के लिए यथोचित सावधानी बरती गई है।
- (3) आवेदक ने उसके लायसेंस की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए शासकीय वचन पत्रों या सामान बाजार मूल्य की अन्य शासकीय प्रतिभूतियों के रूप में 25 प्रतिशत जमानत के रूप में जमा किया। वचन-पत्र या अन्य प्रतिभूतियों उनके जमा किये जाने पर जिले के कलेक्टर को उसके पदनाम से पृष्ठांकित की जायेगी। बीयर बनाने वाले को उपर्युक्त रकम पर निकलने वाला ब्याज, जैसे ही वह देय हो लेने की अनुमति होगी। राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए रूपये 5,00,000/- वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि के लिये प्ररूप ख-1-अ में अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक अनुपालन के अधीन रहते हुए नवीनीकृत की जा सकेगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आबकारी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति को आडमान विक्रय बंधक अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं कर सकता है। यदि ऐसी अनुमति दी जाती है तो अनुज्ञप्ति पर दर्ज की जावेगी।
- (4) छत्तीसगढ़ में एक मात्र दुर्ग जिले में सोना ब्रेवरेज प्रा0लि0 रसमड़ा जिला दुर्ग में बियर निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है जो दिनांक 04.03.2014 से प्रारंभ है।
- (15) देशी मदिरा के थोक प्रदाय हेतु निविदाओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया :- वर्ष 2023-24 में बिलासपुर जिले की सभी देशी मदिरा दुकानों का प्रदाय केवल मानकीकृत कांच की बोतलों में भण्डारण भाण्डागार गतौरी बिलासपुर से किया जावेगा।

(06) मादक द्रव्यों की प्रदाय की व्यवस्था :- जिला स्तरीय मादक द्रव्यों के लायसेंसियों को विक्रय हेतु मादक द्रव्य का प्रदाय निम्नानुसार दिया जाता है :-

- (1) देशी मदिरा :- देशी मदिरा की भरी हुई बोतलों आसवनी से भण्डारण भाण्डागार गतौरी बिलासपुर तक पेटियों में परिवहित की जाती हैं प्रत्येक पेटियों में 48 नग पाव अथवा 24 नग अद्धी अथवा 12 नग बोतल भरी हुई होती है। भण्डारण भाण्डागार गतौरी बिलासपुर में मदिरा का भण्डारण किया जाता है एवं देशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को ड्यूटी एवं शुल्क आदि जमा पश्चात वांछित मात्रा प्रकार एवं नगों में प्रदाय किया जाता है।
- (2) विदेशी मदिरा :- विदेशी मदिरा स्पिरिट एवं माल्ट का प्रदाय छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन बिलासपुर से किया जाता है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ड्यूटी राशि के जमा पश्चात इस कार्यालय से लिंगियाडीह बिलासपुर डिपो प्रभारी के लिये परमिट जारी किया जाता है जिस पर फुटकर लायसेंसियों के द्वारा मदिरा की कीमत एवं शुल्क आदि का पृथकतः अग्रिम भुगतान पश्चात उन्हें वांछित मात्रा प्रकार एवं नगों में प्रदाय दिया जाता है।
- (3) भाग :- वर्तमान में जिले में 01 थोक भांग दुकान सिरगिट्टी एवं 02 फुटकर भांग गुरुनानक चौक एवं मंगला चौक में बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित है। भांग की आवश्यक मात्रा शासन के द्वारा क्रय की जाकर गतौरी भण्डारण भाण्डागार में संग्रहित की जाती है। एवं लायसेंसियों के द्वारा निर्धारित शुल्क ड्यूटी आदि जमा करने के पश्चात लायसेंसियों को प्रदाय दिया जाता है, किन्तु 31.10.2023 से लायसेंस का नवीनीकरण नहीं होने से उक्त भांग दुकाने बंद है।

(07) कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रतिमान (नार्म्स) (Norms Set By It For The Discharge Of Its

Function) :- आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा संपादित कार्यालयीन कार्य के अतिरिक्त निरीक्षण को महत्त्वता देते हुए सामयिक अंतरालों पर निरीक्षण करने के लिए 'निरीक्षण प्रतिमान (नार्म्स) निर्धारित किए गए हैं जो निम्नानुसार है :-

(क) कार्यालय निरीक्षण :-

क्रं	कार्यालय	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या
1	सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय	1 आबकारी आयुक्त	तीन वर्ष में एक बार
		2 अपर आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार (सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय का निरीक्षण अवश्य करेंगे)
		3 उपायुक्त आबकारी मुख्यालय	आबकारी आयुक्त द्वारा आबटित उपायुक्त आबकारी कार्यालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार अवश्य करेंगे।
		4 सहायक आयुक्त/जिला आब. अधि.	वर्ष में एक बार
2.	वृत्त कार्यालय	1 उपायुक्त आबकारी मुख्यालय	मुख्यालय में पदस्थ प्रत्येक उपायुक्त अपने प्रभार के जिलों के कम से कम तीन वृत्तों का निरीक्षण वर्ष में एक बार करेंगे।
		2 उपायुक्त/सहायक आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार प्रत्येक वृत्त का निरीक्षण करेंगे।
		3 जिला/सहायक जिला आबकारी अधिकारी (यदि वृत्त के प्रभार में उपनिरीक्षक पदस्थ हो)	प्रभार क्षेत्र के वृत्तों का वर्ष में 2 बार निरीक्षण करेंगे।
3.	भण्डारण भाण्डागार	1 उपायुक्त आबकारी मुख्यालय	मुख्यालय में पदस्थ प्रत्येक उपायुक्त अपने प्रभार के जिलों के विनिर्माण के भाण्डागारों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे।
		2 उपायुक्त/सहायक आयुक्त आबकारी	प्रत्येक भण्डारण के भाण्डागार का वर्ष में कम से कम 2 बार निरीक्षण करेंगे।
		3 जिला/सहायक जिला आबकारी अधिकारी (यदि भण्डारण भाण्डागार के प्रभार में उपनिरीक्षक पदस्थ हो)	प्रभार क्षेत्र के प्रत्येक भण्डारण के भाण्डागार का वर्ष में 2 बार निरीक्षण करेंगे।

(ख) विभिन्न अनुज्ञप्तियों का निरीक्षण :-

क्रं	अनुज्ञप्ति का प्रकार	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या
1	सी.एस.2(घ)(घ) देशी मदिरा की फुटकर बिक्री का लायसेंस एवं एफ.एल.1(घ)(घ) (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री का लायसेंस)	1 उपायुक्त आबकारी राज्य स्तरीय उड़नदस्ता/जिला आबकारी अधिकारी उड़नदस्ता	प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक माह में 4 केन्द्र
		2 उपायुक्त/सहायक आयुक्त आबकारी	प्रत्येक केन्द्र वर्ष में एक बार
		3 जिला/सहायक जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक केन्द्र वर्ष में एक बार
		4 वृत्त प्रभारी अधिकारी/उप निरीक्षक	मुख्यालय स्थित केन्द्रों का पाक्षिक एवं अन्य केन्द्रों का मासिक
2.	मनोरंजन केन्द्र (छविगृह एवं वीडियो)	1 उपायुक्त आबकारी राज्य स्तरीय उड़नदस्ता/जिलाआबकारी अधिकारी उड़नदस्ता	प्रत्येक अधिकारी कम से कम दो छविगृह प्रति माह

पार्लर)	2	उपायुक्त/सहायक आयुक्त आबकारी	प्रत्येक मनोरंजन केन्द्र का वर्ष में कम से कम दो बार
	3	जिला/सहायक जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक मनोरंजन केन्द्र का वर्ष में दो बार कम से कम
	4	उप निरीक्षक	प्रत्येक मनोरंजन केन्द्र प्रत्येक माह कम से कम दो बार

अनुज्ञप्ति का प्रकार		निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या	
3	एफ.एल.2 (रेस्टोरेंट बार, केवल बीयर हेतु) एफ.एल.3 (होटल बार अनुज्ञप्ति), एफ.एल.3(क) (शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) एफ.एल.4क (व्यवसायिक क्लब) एफ.एल.6 (सैनिक केन्टीन थोक अनुज्ञप्ति), एफ.एल.7(सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति), एफ.एल.8(सैनिक केन्टीन मेस अनुज्ञप्ति) डी.एस.1(डिनेचर्ड स्प्रिट विक्रय का थोक लायसेस) डी.एस.2 (डिनेचर्ड स्प्रिट विक्रय का फुटकर लायसेस) डी.एस.3 (प्रमाणिक उद्योगो, वैज्ञानिक और मंद करने के प्रयोजन के लिए डिनेचर्ड स्प्रिट को कब्जा में रखने की अनुज्ञप्ति), डी.एस.4 औषधि विक्रेताओं द्वारा कब्जे उपयोग और विक्रय के लिए उद्योगो में कब्जे और उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति), आर.एस.1(परिशोधित स्प्रिट के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति), एल.2 (अल्कोहल एवं अन्य नारकोटिक्स ड्रग्स मिश्रित दवाओं के निर्माण की अनुज्ञप्ति), एच.डी.7 (भाग के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति), एच.डी.8 (भाग घोंटा एवं भांग मिटाई की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति), डी.एस.पी.1 (विप्रकृत स्प्रिट जन्य सम्पाको के निर्माण और विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति) डी.एस.पी.2 (विप्रकृत स्प्रिट जन्य सम्पाको के थोक विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति), डी.एस.पी.3 (विप्रकृत स्प्रिट जन्य सम्पाकों के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति)	1	उपायुक्त/सहायक आयुक्त आबकारी	प्रत्येक अनुज्ञप्ति वर्ष में एक बार
		2	जिला/सहायक जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक अनुज्ञप्ति वर्ष में एक बार
		3	उप निरीक्षक	एफ.एल.2/3 माह में एक बार शेष अनुज्ञप्तियां तीन माह में एक बार
		4	जिला आबकारी राज्य स्तरीय उडनदस्ता	प्रत्येक माह में कम से कम 2 अनुज्ञप्ति

(08) विभाग में रखे जाने वाले विधान-नियम (Rules, Regulations, Instructions, Manuals

And Records) :- विभाग के कार्य संपादन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले नियम, विधान, आदेश, निर्देश निम्नानुसार है :-

1. छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915)
2. छत्तीसगढ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) (दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू होने से राजस्व स्थानांतरित)
3. स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 (क्रमांक 61 सन् 1985)
4. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1955 (क्रमांक 16 सन् 1955)
5. मादक (स्प्रिटजन्य)सम्पाक अन्तर्राज्य(व्यापार और वाणिज्य)नियंत्रण अधिनियम 1955(क्रमांक 39 सन् 1955)
6. स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 (क्रमांक 46 सन् 1988)

7. सामान्य प्रयोग के नियम 1960
8. आबकारी सलाहकार समिति के गठन और कार्य संबंधी नियम 1960
9. सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तें
10. छत्तीसगढ़ देशी स्प्रिट नियम 1995
11. छत्तीसगढ़ देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 एवं 2017
12. छत्तीसगढ़ आसवनी नियम 1995
13. छत्तीसगढ़ ताड़ी नियम 1960
14. छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996
15. छत्तीसगढ़ विप्रकृत स्प्रिट नियम 1960
16. छत्तीसगढ़ परिशोधित स्प्रिट नियम 1960
17. छत्तीसगढ़ भांग नियम 1960
18. छत्तीसगढ़ अपीले पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन नियम 1960
19. छत्तीसगढ़ राजसात वस्तुओं के (निपटारा) के संबंध में नियम 1960
20. छत्तीसगढ़ मादक सम्पाक अन्तर्राज्य (व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण नियम 1960
21. छत्तीसगढ़ यवासवनी नियम 1970
22. छत्तीसगढ़ विप्रकृत मादक (स्प्रिटजन्य) संपाक नियम 1969
23. स्वापक औषधियां एवं मनोत्तेजक पदार्थ सिद्धदोष या आदी (व्यसनी) के द्वारा बंधपत्र निष्पादन नियम 1985
24. स्वापक औषधियां एवं मनोत्तेजक पदार्थ (केन्द्रीय) नियम 1985
25. स्वापक औषधियां एवं मनोत्तेक पदार्थ (छत्तीसगढ़) नियम 1985
26. छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क नियम 1942 (दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू होने से राजस्व स्थानांतरित)
27. छत्तीसगढ़ सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहन योजना के सहायता अनुदान नियम 1982 (दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू होने से राजस्व स्थानांतरित)
28. छत्तीसगढ़ सिनेमा (वीडियों कैंसेट रिकार्डर द्वारा फिल्म प्रदर्शन) अनुज्ञापन नियम 1983 (दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू होने से राजस्व स्थानांतरित)
29. छत्तीसगढ़ केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियम 1999 (दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू होने से राजस्व स्थानांतरित)
30. होलोग्राम के क्रय, भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन व निर्गम के संबंध में जारी निर्देश
31. देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंस जारी करने हेतु जारी किए गए निर्देश
32. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता

उक्त के अतिरिक्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होने वाले निम्नलिखित नियम सहायक आयुक्त आबकारी के कार्यालय में रखे जाते हैं :-

1. छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम
2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010
3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976
4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा) परिचर्या नियम 1958
5. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961
6. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (स्थाई एवं अर्द्धस्थाई) नियम 1960

7. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965
8. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966
9. छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-एक एवं भाग-दो
10. छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना नियम 1985
11. छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम 1955
12. छत्तीसगढ़ वेतन निर्धारण नियम
13. छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम
14. छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-एक एवं दो
15. छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग-एक एवं दो
16. छत्तीसगढ़ लेखा संहिता भाग-एक एवं दो
17. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम
18. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदग्रहणकाल) नियम 1982
19. सामान्य पुस्तक परिपत्र

(09) जिला स्तरीय कार्यालय में संधारित किये जाने वाले अभिलेख :- जिला स्तरीय कार्यालय में कार्यालयवार संधारित किये जाने वाले अभिलेखों, पंजियों, नस्तियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

(1) सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय में संधारित अभिलेख :-

1. आबकारी की फुटकर दुकानों के ठेकों से संबंधित अभिलेख
2. आसवनी एवं बॉटलिंग इकाईयों के लिए मुख्यालय से जारी किए गए अनुज्ञापनों के अंतर्गत जिलों में स्थित इकाईयो से संबंधित अभिलेख
3. न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
4. स्थापना शाखा में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेख
5. समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावलियों से संबंधित अभिलेख
6. अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
7. अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों से संबंधित जांच संबंधी अभिलेख
8. मनोरंजनकर में छविगृहों, वीडियो, केबल आपरेटरों एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों से संबंधित अभिलेख
9. स्टोर, स्टेशनरी एवं भण्डार क्रय एवं प्रदाय से संबंधित अभिलेख
10. शासकीय वाहनों का रख-रखाव एवं अन्य कार्यालयीन उपकरणों के क्रय व रख-रखाव से संबंधित अभिलेख एवं वाहन की लागबुक
11. बजट निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण तथा मुख्यालय से प्राप्त बजट आबंटन संबंधी अभिलेख
12. ऑडिट संबंधित अभिलेख
13. अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले वेतन एवं अन्य भत्तों एवं अग्रिम धनों के भुगतान संबंधित देयकों से संबंधित अभिलेख
14. समस्त व्यव की गई राशियों के लिए मासिक व्यव विवरणी से संबंधित अभिलेख
15. सांख्यिकी से संबंधित समस्त जानकारी (आय, खपत, उपलंभन आदि) से संबंधित अभिलेख एवं मासिक पत्रकों की तैयारी व प्रेषण
16. कार्यालय, वृत्त, भांडागार, आसवनी, बॉटलिंग यूनिटों के निरीक्षणों से संबंधित निरीक्षण टीपे
17. आबकारी अपराधों एवं विभागीय लायसेंसियो द्वारा किए गए अपराध के लिए अपराध घटना पंजी पी-14 का संधारण एवं रख-रखाव तथा विभागीय प्रकरणों की नस्तियाँ

18. बकाया वसूली संबंधित अभिलेख

(2) भण्डारण भाण्डागार में संधारित अभिलेख :- पूर्व में प्रचलित विनिर्माण एवं वर्तमान में केवल भण्डारण के भाण्डागार में मद्यभाण्डागार अधिकारी द्वारा संधारित किये जाने वाले अभिलेखों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रं	संक्षिप्त नाम	संधारित अभिलेखों का नाम	उपयोग का प्रकार
1	डी-12	रजिस्टर	देशी मदिरा की सीलबंद बोतलों की आमद, प्रदाय एवं बचत का लेखा रखने हेतु
2	डी-16	रजिस्टर (बुक)	भांडागारों में राजस्व ताले लगाने एवं खोलने के लिए लॉक टिकिट बुक
3	डी-17	रजिस्टर	सीलबंद देशी मदिरा बोतलों के प्रदाय की पंजी
4	डी-18	रजिस्टर	सीलबंद देशी मदिरा बोतलों को दुकानवार प्रदाय की पंजी
5	डी-21	रजिस्टर	भांडागार अधिकारी की दैनंदिनी
6	डी-24 Part I & II	फार्म	देशी मदिरा दुकानों को प्रदाय की गई मदिरा की जानकारी का मासिक पत्रक
7	डी-25	रजिस्टर	देशी मदिरा प्रदायकर्ता की ओर से कार्यरत स्थाई कर्मचारियों/श्रमिकों का मजदूरी रजिस्टर
8	डी-26	रजिस्टर	देशी मदिरा प्रदायकर्ता की ओर से कार्यरत अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी रजिस्टर
9	एच.डी-26	रजिस्टर	भाग दुकानों को प्रदाय की गई भाग का लेखा रजिस्टर
10	जी-2	रजिस्टर	देशी/विदेशी मदिरा भाग की फुटकर दुकानों की लायसेंस फीस की मांग एवं वसूली का रजिस्टर
11	जी-9	फार्म	10वें कार्य दिवस पश्चात मासिक लायसेंस फीस बकाया के संबंध में जानकारी
12	ओ.एफ.7	रजिस्टर	भांडागारों में उपलब्ध सामग्रियों का रजिस्टर
13	ओ.एफ.9	रजिस्टर	भांडागारों में उपलब्ध अभिलेखों के निरसन का रजिस्टर
14	पी-1	रजिस्टर	पत्र व्यवहार का रजिस्टर (पत्रों का आवक-जावक)
15	टी.सी.एस.	रजिस्टर	देशी मदिरा के फुटकर लायसेंसियों को प्रदाय की गई देशी मदिरा पर आय कर वसूली का रजिस्टर
16	एम.जी.	रजिस्टर	देशी मदिरा दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं उसके विरुद्ध उठाई गई मदिरा का लेखा रजिस्टर
17	एच.जी.5	रजिस्टर	होलोग्राम की प्राप्ति का लेखा
18	एच.जी.6	रजिस्टर	मदिरा बॉटलिंग पश्चात बोतलों में चस्पा करने हेतु उपयोग में लाए गये विकृत/नष्ट हुए होलोग्राम का लेखा
19	एच.जी.7	फार्म	होलोग्राम प्राप्ति उपयोग, शेष, स्कंध एवं विकृत/नष्ट हुए होलोग्राम संबंधी साप्ताहिक पत्रक
20	लेबल	रजिस्टर	मदिरा बोतलों पर लगाए जाने वाले ढक्कनों एवं लेबलों का लेखा रजिस्टर

(3) वृत्त कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख :- वृत्त कार्यालयों में निम्नानुसार अभिलेख, पंजियां संधारित की जाती है :-

क्रं	संक्षिप्त नाम	संधारित अभिलेखों का नाम	उपयोग का प्रकार
1	पी-1	रजिस्टर	पत्र व्यवहार पंजी (पत्रों का आवक एवं जावक)
2	पी-2	फार्म	आबकारी वृत्त उपनिरीक्षक की पाक्षिक दैनंदिनी
3	पी-3	रजिस्टर	आबकारी वृत्त उपनिरीक्षक की भ्रमण पंजी
4	पी-4	फार्म	आबकारी वृत्त उपनिरीक्षक द्वारा माह में किये गए निरीक्षण एवं भ्रमण की जानकारी का मासिक पत्रक
5	पी-5	रजिस्टर	आबकारी दुकानों के लाभ-हानि के मूल्यांकन का रजिस्टर
6	पी-6	रजिस्टर	आबकारी वृत्तों के क्षेत्राधिकार स्थित ग्रामों के लिए ग्रामवार इतिहास का रजिस्टर
7	पी-7	रजिस्टर	आबकारी वृत्तों में आबकारी उपनिरीक्षक को अपराधों की प्राप्त सूचना का रजिस्टर
8	पी-8	फार्म	आबकारी वृत्तों में दर्ज किए गए प्रकरणों के लिए अपराध एवं घटना रिपोर्ट का फार्म
9	पी-9	फार्म	अपराधिक प्रकरणों में जप्त मदिरा व अन्य सामग्री की जप्ती का फार्म
10	पी-10	फार्म	सुपुर्दनामा पत्र जिसमें आबकारी प्रकरणों में जप्त मुद्देमाल को पुलिस या अन्य सक्षम पदाधिकारी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया जाता है।
11	पी-11	फार्म	आबकारी प्रकरणों में अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट (अभियोजन) न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।
12	पी-12	फार्म	पेट्रोल चालान फार्म
13	पी-13	फार्म	देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, भांग दुकानों एवं अन्य अनज्ञप्तियों के निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं हेतु लायसेंस को दिया जाने वाला आरोप पत्र
14	पी-14	रजिस्टर	वृत्तों में कायम किए गए प्रकरणों को जिला कार्यालय में दर्ज करने के लिए अपराध एवं घटना रजिस्टर
15	पी-15	फार्म	विभागीय प्रकरणों में आरोपित संधानराशि/शास्ति की सूचना देने का फार्म
16	पी-16	फार्म	अपराधिक प्रकरणों में मुलजिम को जमानत देने के लिए जमानत मुचलका फार्म
17	पी-26	रजिस्टर	इनाम वितरण रजिस्टर
18	जी-2	रजिस्टर	देशी/विदेशी मदिरा, भांग दुकानों की लायसेंस फीस की मांग एवं वसूली का रजिस्टर
19	-	अभियोजन रजिस्टर	न्यायालयीन प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन रजिस्टर
20	ओ.एफ.7	रजिस्टर	वृत्तों में उपलब्ध सामग्रियों का रजिस्टर
21	ओ.एफ.9	रजिस्टर	वृत्तों में उपलब्ध अभिलेखों के निरसन का रजिस्टर
22	एम.जी.	रजिस्टर	देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं उसके विरुद्ध उठाई गई मदिरा का लेखा रजिस्टर
23	बकाया	रजिस्टर	आबकारी पुरानी बकाया एवं वसूली रजिस्टर

(10) संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/स्थानीय निकाय/जन-भागीदारी का नीतिनिर्धारण या नीतियों के क्रियान्वयन में योगदान/भागीदारी (Consultation With, Or representation By, the members Of The Public In Relation To The Formulation Of Its Policy Or Administration) :-

नियमों के अंतर्गत गठित आबकारी सलाहकार समिति का मुख्य उद्देश्य देशी मदिरा और विदेशी मदिरा व अन्य मादक औषधियों की दुकानों को खोलने एवं मदिरा विक्रय के लिए आबकारी दुकानों की संख्या और क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में उनके वितरण के संबंध में सलाह मशविरा करना एवं समिति की राय लेना है। वर्तमान में स्थित मदिरा की किसी दुकान को बंद करना है या दुकानों के स्थान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव हो तो ऐसे प्रस्तावों पर राय मशविरा किया जाता है, तथा कलेक्टर द्वारा समिति की राय के साथ जिले का पूर्ण प्रतिवेदन भेजा जाता है, जिस पर शासन द्वारा आगामी वर्ष के लिए नीति विषयक निर्णय लिया जाता है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत निर्मित नियमों के खण्ड (ब) में आबकारी सलाहकार समिति के गठन और कार्य संबंधी नियम प्रावधानित है, जिसके नियम-1 में नगरपालिका और छावनी (कन्टोनमेंट) क्षेत्र में सलाहकार समितियों का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होता है :-

(अ)	कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर नियुक्त डिप्टी कलेक्टर	-	पदेन सभापति
(ब)	जिला पुलिस अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी, जो मण्डल निरीक्षक के स्तर से कम स्तर का न हो	-	सदस्य
(स)	नगर पालिका समिति द्वारा चुने हुए क्षेत्र की नगर पालिका परिषद के चार सदस्य	-	सदस्य
(द)	(i) अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि, और	-	सदस्य
	(ii) मादक द्रव्य के व्यापारियों के प्रतिनिधि जो दो से अधिक न हो जो कलेक्टर द्वारा नामजद किए जायेंगे, यदि वह विचार करता है कि खण्ड (स) के अंतर्गत चुने हुए सदस्य ऐसी जाति या व्यापारी का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते, और	-	सदस्य
(ड)	उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में सहायक जिला आबकारी अधिकारी	-	पदेन सचिव

नगर पालिका समिति में चुने हुए प्रतिनिधियों में से खण्ड (स) के अनुसार चार सदस्य प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होंगे तथा "चुना गया कोई सदस्य (प्रतिनिधि), पालिका समिति के सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता की अवधि तक सलाहकार समिति का सदस्य रहेगा या जब तक सलाहकार समिति में उसके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता, रहेगा, परन्तु शर्त यह है कि उस समिति में अपनी सदस्यता की अवधि के समाप्त होने के कारण के अतिरिक्त अन्य किसी कारण के वह नगर पालिका की सदस्यता से वंचित होता है, तो वह सलाहकार समिति की सदस्यता से भी वंचित हो जायेगा।"

इसी प्रकार ग्रामीण सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान नियम-3 में है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सलाहकार समितियों का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होता है। :-

(अ)	कलेक्टर या समय-समय पर कलेक्टर द्वारा नियुक्त डिप्टी कलेक्टर	—	पदेन सभापति
(ब)	जिला पुलिस अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी, जो मण्डल निरीक्षक के स्तर से कम स्तर का न हो	—	सदस्य
(स)	जिले में प्रत्येक जनपद सभा द्वारा चुने हुए दो सदस्य या ऐसे क्षेत्र में प्रभावशील किसी कानून के अंतर्गत जिले में गठित अन्य इसी प्रकार के स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चुने गए दो सदस्य	—	सदस्य
(द)	(i) अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि, और	—	सदस्य
	(ii) मादक द्रव्यों के व्यापारियों के दो से अनधिक प्रतिनिधि, और	—	सदस्य
	(iii) आदिम जनजाति के प्रतिनिधि, जो दो से अधिक न हो, जो कलेक्टर द्वारा नामजद किए जायेंगे, यदि वह विचार करता है कि खण्ड (स) के अंतर्गत चुने गए सदस्य ऐसी जाति व्यापारी या जनजाति का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते, और	—	सदस्य
(ड)	उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में सहायक जिला आबकारी अधिकारी	—	पदेन सचिव

शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस बैठक में गठित समिति के सदस्यों के अतिरिक्त माननीय सांसद एवं विधायकों को भी विशेष रूप से आहूत किया जाता है और इस बैठक में आगामी वर्ष के लिये ठेकों की व्यवस्था के संबंध में मत लेकर अध्यक्ष/कलेक्टर अपने अभिमत के साथ प्रस्ताव आबकारी आयुक्त को भेजते हैं। इस तरह सर्व जन-भागीदारी के उपरान्त ही आगामी वर्ष के लिए देशी/विदेशी मदिरा, भांग के फुटकर लायसेंसों की व्यवस्था संबंधी नीति पर शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्णय लिया जाता है।

(11) व्यक्ति विशेष के विशेषाधिकार अथवा प्रदत्त छूट की जानकारी (Particulars Of Recipients Of Concessions, Permits Or Autohorisations Granted By It) :-

विभाग द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को छूट नहीं दी गई है। कुछ जाति विशेष या व्यक्ति समूह को दी गई छूट की जानकारी निम्नानुसार है :- अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे, अर्थात् :-

1. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा ऐसी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपयोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारहों के प्रयोजनों के लिए ही किया जायेगा।
2. इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा।
3. इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा को कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी-भी समय 5 लीटर होगी।

(12) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु सुविधाओं का विवरण (The Particulars Of Facilities Available To Citizens For Obtaining Information, Including The Working Hours Of A Library Or Reading room If Maintained For Public Use) :-

नागरिकों के लिए विभाग में सूचनाओं के लिए पृथक लायब्रेरी या वाचनालय की व्यवस्था नहीं है। समस्त जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी के पास उनके कार्यक्षेत्र के अभिलेखों की जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध रहेगी, जो किसी नागरिक द्वारा उपलब्ध कराए जाने की मांग की जाने पर कार्यालयीन समय में अवलोकन की सुविधा दी जायेगी और उसकी प्रति चाही जाने पर अथवा अन्य कोई जानकारी, जो उन्हें जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध कराई जा सकती है,

की मांग करने पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी।

(13) जन सूचना अधिकारी के नाम पदनाम एवं अन्य विवरण (The Names, Designation And Other

Particulars Of The Public Information Officers) :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आबकारी विभाग के मुख्यालय स्तर एवं वृत्त स्तर पर नियुक्त अधिकारियों को विभाग द्वारा जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

कं.	विवरण	जनसूचना अधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5
(1)	जिला स्तर पर			
1	सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय	श्री दिनकर वासनिक, सहायक आयुक्त आबकारी बिलासपुर	श्री नितिन शुक्ला, सहायक जिला आबकारी अधिकारी	श्री नोहर सिंह ठाकुर उपायुक्त आबकारी सं.उ.द.बिलासपुर संभाग बिलासपुर (छ.ग.)
(2)	अनुभाग स्तर पर			
1	बिलासपुर मण्डल	श्री नितिन शुक्ला, स.जि.आ.अ.	श्री छबिलाल पटेल स.जि.आ.अ.	श्री दिनकर वासनिक, सहायक आयुक्त आबकारी बिलासपुर
2	सीपत मण्डल	सुश्री कल्पना राठौर स.जि.आ.अ.	सुश्री ऐश्वर्या मिंज, आ.उ.नि.	—"
3	कोटा मण्डल	श्रीमती निरूपमा लोन्हारे, स.जि.आ.अ.	श्री धर्मेन्द्र शुक्ला, आ.उ.नि.	—"
(3)	तहसील/ब्लाक/वृत्त स्तर पर			
1	वृत्त बिलासपुर पूर्व	डॉ. समीर मिश्रा, स.जि.आ.अ.	—	श्री दिनकर वासनिक, सहायक आयुक्त आबकारी बिलासपुर
2	वृत्त बिलासपुर पश्चिम	श्री छबिलाल पटेल स.जि.आ.अ.	—	—"
3	वृत्त बिलासपुर उत्तर	श्रीमती निरूपमा लोन्हारे, स.जि.आ.अ.	—	—"
4	वृत्त मस्तुरी	श्री छबिलाल पटेल स.जि.आ.अ.	—	—"
5	वृत्त सीपत	सुश्री ऐश्वर्या मिंज, आ.उ.नि.	—	—"
6	वृत्त तखतपुर	सुश्री कल्पना राठौर स.जि.आ.अ.	—	—"
7	वृत्त बिल्हा	श्री महेश कुमार राठौर, आ.उ.नि.	—	—"
8	वृत्त कोटा	श्री धर्मेन्द्र शुक्ला, आ.उ.नि.	—	—"

कं.	विवरण	जनसूचना अधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(4)	अन्य कार्यालय स्तर पर			
1	मे.वेलकम डिस्टलरीज प्रा. लि.छेरकाबांधा कोटा	श्री महेश्वर नारायण सिन्हा, जिला आबकारी अधिकारी	—	श्री दिनकर वासनिक, सहायक आयुक्त आबकारी बिलासपुर
2	भण्डारण भण्डागार गतौरी	श्रीमती शीलारानी एक्का स.जि.आ.अ.	—	—
3	लीजेण्ड डिस्टलरीज, सिरगिट्टी	श्रीमती दीपा आडिल, जि.आ.अ.	—	—
4	गोल्डन प्रिंस वाइन्स प्रा.लि. सिरगिट्टी	श्रीमती निरूपमा लोन्हारे, स.जि.आ.अ.	—	—
5	एजिस ब्रेवरेजेज सिरगिट्टी	श्रीमती दीपा आडिल, जि.आ.अ.	—	—

नागरिकों के द्वारा अनुविभाग/तहसील स्तर पर आबकारी वृत्त कार्यालय एवं जिला स्तर पर कार्यालय उपायुक्त आबकारी जिला बिलासपुर से अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय अर्थात् प्रातः 10:00 बजे से संध्या 5:30 बजे के बीच सूचनायें प्राप्त की जा सकती हैं।

(14) अन्य विवरण (Such Other Information, As May Be Prescribed) :-

जिले की पदस्थापना एवं लायसेंसों के संबध में सामान्य जानकारी निम्नानुसार है :-

1. जिले की सामान्य जानकारी :-

- कार्यालय का पता — कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग बिलासपुर (छ.ग.) फोन नंबर 07752-424099
- कार्यालय प्रमुख का नाम— श्री दिनकर वासनिक, सहायक आयुक्त आबकारी
- आबकारी केन्द्रों की जानकारी :-

1	डी.1 बाटलिंग ईकाई	01(वेलकम आसवनी छेरकाबांधा कोटा, बिलासपुर)
2	सी.एस.1	01(वेलकम आसवनी छेरकाबांधा कोटा, बिलासपुर)
3	सी.एस.1(ख)	01(वेलकम आसवनी छेरकाबांधा कोटा, बिलासपुर)
4	देशी मदिरा सी.एस.2 घ घ	25
5	कम्पोजिट शॉप सी.एस. 2 घ घ	15
6	विदेशी मदिरा एफ.एल.1 घ घ	26
7	एफ.एल. 3 लायसेंस	14
8	एफ.एल. 3(क)	02
9	एफ.एल. 4 लायसेंस	00
10	एफ.एल. 4 (क) लायसेंस	04
11	एफ.एल. 6 लायसेंस	01
12	एफ.एल. 7 लायसेंस	02
13	एफ.एल. 8 लायसेंस	01
14	एफ.एल. 9 लायसेंस	04 1.गोल्डन 2.लीजेण्ड 3. एजिस 4. वेलकम
15	एफ.एल. 9 ए लायसेंस	02 (जगतजीत एवं एलाईण्ड ब्लैण्डर्स)
16	एफ.एल. 10	01 (छोगो राज्य ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन सिरगिट्टी)
17	भांग	HD-1 थोक दुकान 01, HD-2 फुटकर दुकान 02
18	एन.डी. 1 एन.डी. 2	02 - 02

19	आर.एस. 2-अ	01	
18	जिले में बंद हुये मदिरा दुकाने	देशी मदिरा 31 एवं विदेशी मदिरा 03	कुल 34
		वर्ष 2011-12 में बंद दुकानों की संख्या 21	
		वर्ष 2012-13 में बंद दुकानों की संख्या 09	
		वर्ष 2019-20 में बंद दुकानों की संख्या 04	

4. आबकारी मण्डल - 03 बिलासपुर, कोटा एवं सीपत मण्डल

5. आबकारी वृत्त- 08

1	वृत्त बिलासपुर पूर्व
2	वृत्त बिलासपुर पश्चिम
3	वृत्त बिलासपुर उत्तर
4	वृत्त मस्तूरी
5	वृत्त सीपत
6	वृत्त तखतपुर
7	वृत्त बिल्हा
8	वृत्त कोटा
आसवनी/बॉटलिंग इकाई/भण्डारण भाण्डागार	
1	मे.वेलकम डिस्टलरीज प्रा.लि.छेरकाबांधा कोटा
2	लीजेण्ड डिस्टलरीज, सिरगिट्टी
3	गोल्डन प्रिंस वाइन्स प्रा.लि. सिरगिट्टी
4	एजिस ब्रेवरेजेज सिरगिट्टी
5	भण्डारण भाण्डागार गतौरा

6. बिलासपुर जिले में संचालित देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानों की सूची

क्र.	देशी मदिरा दुकान का नाम	क्र.	विदेशी मदिरा दुकान का नाम
1	दे.म.दु सेंदरी	1	वि.म.दु सेंदरी
2	दे.म.दु रानीगांव	2	वि.म.दु रानीगांव
3	दे.म.दु बेलतरा	3	वि.म.दु बेलतरा
4	दे.म.दु सकरी	4	वि.म.दु सकरी
5	दे.म.दु तखतपुर	5	वि.म.दु तखतपुर
6	दे.म.दु कोटा	6	वि.म.दु कोटा
7	दे.म.दु सीपत	7	वि.म.दु सीपत
8	दे.म.दु मस्तूरी	8	वि.म.दु मस्तूरी
9	दे.म.दु मल्हार	9	वि.म.दु मल्हार
10	दे.म.दु सरकण्डा	10	वि.म.दु सरकण्डा
11	दे.म.दु लिंगियाडीह	11	वि.म.दु लिंगियाडीह
12	दे.म.दु चांटीडीह सब्जी मण्डी	12	वि.म.दु चांटीडीह सब्जी मण्डी
13	दे.म.दु मधुबन	13	वि.म.दु मधुबन
14	दे.म.दु मंगलाबस्ती	14	वि.म.दु मंगलाबस्ती
15	दे.म.दु वंसुधरा नगर रिंगरोड नं 2	15	वि.म.दु वंसुधरा नगर रिंगरोड नं 2
16	दे.म.दु व्यापारविहार	16	वि.म.दु व्यापार विहार
17	दे.म.दु लिकरोड	17	वि.म.दु लिकरोड
18	दे.म.दु पुराना बस स्टेण्ड	18	वि.म.दु पुराना बस स्टेण्ड
19	दे.म.दु चुचुहियापारा	19	वि.म.दु चुचुहियापारा

20	दे.म.दु यदुनंदननगर	20	वि.म.दु यदुनंदननगर
21	दे.म.दु सिरगिट्टी	21	वि.म.दु सिरगिट्टी
22	दे.म.दु बोदरी	22	वि.म.दु बोदरी
23	दे.म.दु बिल्हा	23	वि.म.दु बिल्हा
24	दे.म.दु बंधवापारा	24	वि.म.दु परसदा
25	दे.म.दु चांटीडीह	25	वि.म. प्रिमियम शॉप रामा मैग्नेटो मॉल
		26	वि.म.दु. प्रिमियम शॉप लिंक रोड
		1	कम्पोजिट शॉप छोटीकोनी
		2	कम्पोजिट शॉप बिरकोना
		3	कम्पोजिट शॉप पौंसरा
		4	कम्पोजिट शॉप लखराम
		5	कम्पोजिट शॉप बेलगहना
		6	कम्पोजिट शॉप उसलापुर
		7	कम्पोजिट शॉप गनियारी
		8	कम्पोजिट शॉप मोपका
		9	कम्पोजिट शॉप गतौरा
		10	कम्पोजिट शॉप जयरामनगर
		11	कम्पोजिट शॉप जोधरा
		12	कम्पोजिट शॉप तोरवा
		13	कम्पोजिट शॉप तिफरा
		14	कम्पोजिट शॉप हरदीटोना
		15	कम्पोजिट शॉप दगौरी

7. वर्ष 2023-24 के लिए नवीन/नवीनीकृत होकर संचालित होटल बार/क्लब लायसेंस की सूची

क्र.	वृत्त का नाम	बार का प्रकार	बार/क्लब का नाम/स्थान	लायसेंसी का नाम
1	बिलासपुर पश्चिम	एफ.एल. 3	होटल ईस्ट पार्क असेनल बार अग्रसेन चौक बिलासपुर	श्री राहूल बाजपेयी
2		एफ.एल. 3	होटल इमराल्ड/सफायर बार टेलीफोन एक्सचेंज रोड बिलासपुर	श्री राजेश छाबड़ा
3		एफ.एल. 3	होटल हेवन्स पार्क वाईब्स बार टेलीफोन एक्सचेंज रोड	श्री मेघराज जीवनानी
4		एफ.एल. 3	होटल आनंद विनित बार शिव टॉकिज के पास बिलासपुर	श्री हरबंश अजमानी
5		एफ.एल. 3	होटल नटराज पाली बार अग्रसेन चौक बिलासपुर	श्री दिग्विजय सिंह ठाकुर
6		एफ.एल. 3	होटल प्लेटेनियम महाराणा प्रताप चौक बिलासपुर	श्री रवि कुमार सिंह
7		एफ.एल. 3	होटल कोटयार्ड मेरियट, बार 36 मंगला चौक बिलासपुर	श्री हरिकुमार पी.
8		एफ.एल. 3(क)	तंत्रा द मेजिकल वर्ल्ड, शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार, 36 शॉपिंग मॉल बिलासपुर	श्रीमती शोभा पाठक
9		एफ.एल. 4(क)	ईलीजियम रिक्रियेशनल सोसायटी, मगरपारा बिलासपुर	श्री श्रेयष सेलारका
10		एफ.एल. 4(क)	एमिगोस बिलासपुर सोसायटी, लिंकरोड बिलासपुर	श्री जितेन्द्र जायसवाल
11	बिलासपुर पूर्व	एफ.एल. 3	गोल्डन बार, व्यापार विहार बिलासपुर	श्री राजेन्द्र सिंह छावड़ा
12		एफ.एल. 3	होटल आनंदा इम्पीरियल बार व्यापार विहार बिलासपुर	श्री दुलाराम विधानी

13		एफ.एल. 3	ब्लैक बेरी होटल बार, गुरुनानक चौक तोरवा बिलासपुर	श्री चुम्पन सिंह राजपूत
14		एफ.एल. 3(क)	भूगोल शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार, रामा मैग्नेटो मॉल बिलासपुर	श्री आशीष जायसवाल
15	बिलासपुर उत्तर	एफ.एल. 3	होटल बार इंटरसिटी इंटरनेशनल जगमल चौक बिलासपुर	श्री सुरेन्द्र छावड़ा
16		एफ.एल. 3	सूर्या होटल/तारा बार पुराना बस स्टैण्ड बिलासपुर	श्री सुनील छावड़ा
17	सीपत	एफ.एल. 3	होटल शिवम/रेड चिल्ली बार राजकिशोर नगर बिलासपुर	श्री मनजीत सिंह गुम्बर
18	बिल्हा	एफ.एल. 3	मोटल बिलासपुर सिटी, हाईटेक बस स्टैण्ड के पास, तिफरा बिलासपुर	श्री सुरेन्द्र गुम्बर
19		एफ.एल. 4(क)	द पेट्रीशियन्स वेलफेयर सोसायटी, सिरगिट्टी, रायपुर रोड बिलासपुर	श्री जॉनी सोनी
20		एफ.एल. 4(क)	आर.डब्लू. हॉस्पिटैलिटी, क्लब हाऊस, रामा वर्ल्ड रायपुर रोड बिलासपुर	श्री थानवर प्रसाद चंदेल

(8) नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य पदस्थापना पश्चात कार्यालय प्रमुख के रूप में जिला बिलासपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची :-

क्रं	नाम अधिकारी	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	भारमुक्त दिनांक
1	2	3	4	5
1	श्री व्ही.एस. राजपूत	जिला आबकारी अधिकारी	02.07.1999	24.07.2000
2	श्री जे.आर. कश्यप	जिला आबकारी अधिकारी	25.07.2000	30.10.2001
3	श्री एम.आर. ठाकुर	जिला आबकारी अधिकारी	02.11.2001	13.12.2001
4	श्री एम.आर. ठाकुर	प्र.सहायक आयुक्त आबकारी	14.12.2001	22.07.2003
5	श्री बी.एल. मंडावी	प्र.सहायक आयुक्त आबकारी	28.07.2003	07.02.2004
6	श्री आर.के. तिवारी	प्र.सहायक आयुक्त आबकारी	09.02.2004	21.02.2004
7	श्री संजय पारीक	प्र.सहायक आयुक्त आबकारी	23.02.2004	19.06.2006
8	श्री आर.के. मंडावी	सहायक आयुक्त आबकारी	20.06.2006	29.01.2007
9	श्री आर.के. तिवारी	प्र.सहायक आयुक्त आबकारी	29.01.2007	19.06.2008
10	श्री आशीष श्रीवास्तव	प्र.सहायक आयुक्त आबकारी	20.06.2008	07.09.2008
11	श्री आशीष श्रीवास्तव	सहायक आयुक्त आबकारी	08.09.2008	09.07.2012
12	श्री पी.एल. साहू	सहायक आयुक्त आबकारी	10.07.2012	25.07.2013
13	श्री एल.एल.ध्रुव	सहायक आयुक्त आबकारी	25.07.2013	23.06.2014
14	श्री अनिमेष नेताम	सहायक आयुक्त आबकारी	25.06.2014	12.02.2015
15	श्री पी.सी. अग्रवाल	प्र.सहायक आयुक्त आबकारी	19.02.2015	30.04.2016
16	श्री एल.एल.ध्रुव	सहायक आयुक्त आबकारी	04.05.2016	03.07.2018
17	श्री विजय सेन शर्मा	सहायक आयुक्त आबकारी	06.07.2018	27.06.2019
18	श्री विकास कुमार गोरवामी	प्र.सहायक आयुक्त आबकारी	28.06.2019	11.06.2020
19	श्रीमती नीतू नोतानी ठाकुर	सहायक आयुक्त आबकारी	12.06.2020	23.06.2020
20	श्रीमती नीतू नोतानी ठाकुर	उपायुक्त आबकारी	24.06.2020	23.08.2023
21	श्री अरविन्द कुमार पाटेल	उपायुक्त आबकारी	23.08.2023	04.10.2023
22	श्री दिनकर वासनिक	सहायक आयुक्त आबकारी	05.10.2023	अद्यतन

सहायक आयुक्त आबकारी
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

09) विधानसभावार देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/बार/बॉटलिंग/आसवनी की जानकारी निम्नानुसार है :-

विधानसभा का नाम एवं क्रमांक	प्रकार	देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/बार/बॉटलिंग/आसवनी का नाम	संख्या
बिलासपुर (30)	कुल देशी मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	दे.म. बंधवापारा	6
		दे.म. चुचुहियापारा	
		दे.म. व्यापारविहार	
		दे.म. पुराना बस स्टैण्ड	
		दे.म. लिंकरोड	
		दे.म. वसुंधरा नगर रिंग रोड नं 2	
	कुल विदेशी मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	वि.म. चुचुहियापारा	5
		वि.म. व्यापारविहार	
		वि.म. पुराना बस स्टैण्ड	
		वि.म. लिंकरोड	
		वि.म. वसुंधरा नगर रिंग रोड नं 2	
	कुल कम्पोजिट मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	कम्पोजिट दुकान तोरवा	1
	कुल प्रीमियम मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	प्री.वि.म. रामा मैग्नेटो मॉल	2
		प्री.वि.म. लिंकरोड बिलासपुर/होटल बार	
	एफ.एल. 03 की सूची एवं संख्या	होटल ईस्ट पार्क असेनल बार अग्रसेन चौक बिलासपुर	12
		होटल इमराल्ड/सफायर बार अग्रसेन चौक बिलासपुर	
		होटल हेवन्स पार्क वाईब्स बार टेलीफोन एक्सचेंज रोड	
		होटल आनंद विनित बार शिव टाकिज के पास बिलासपुर	
		होटल नटराज पाली बार अग्रसेन चौक बिलासपुर	
		होटल प्लेटेनियम महाराणा प्रताप चौक बिलासपुर	
होटल कोटयार्ड मेरियट बार 36 मंगला चौक बिलासपुर			
होटल बार इंटरसिटी इंटरनेशनल जगमल चौक बिलासपुर			
सूर्या होटल/तारा बार पुराना बस स्टैण्ड बिलासपुर			
गोल्डन बार व्यापार विहार बिलासपुर			
होटल आनंदा इम्पीरियल बार व्यापार विहार बिलासपुर			
ब्लैक बेरी होटल बार गुरुनानक चौक तोरवा बिलासपुर			
एफ.एल. 03 (क) की सूची एवं संख्या	तंत्रा द मेजिकल वर्ल्ड शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार बिलासपुर	2	
	भूगोल शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार बिलासपुर		
एफ.एल. 4 (क) की सूची एवं संख्या	ईलीजियम रिक्रियेशनल सोसायटी मगरपारा बिलासपुर एमिगोस बिलासपुर सोसायटी लिंकरोड बिलासपुर	2	
एफ.एल. 06 की सूची एवं संख्या	निरंक	0	
एफ.एल. 07 की सूची एवं संख्या	सैनिक कल्याण बोर्ड बिलासपुर	1	
एफ.एल. 08 की सूची एवं संख्या	निरंक	0	
बांटलिंग की सूची एवं संख्या	निरंक	0	
आसवनी की सूची एवं संख्या	निरंक	0	
एक साथ वाली मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	दे.म./वि.म. चुचुहियापारा	5	
	दे.म./वि.म. व्यापारविहार		
	दे.म./वि.म. पुराना बस स्टैण्ड		
	दे.म./वि.म. लिंकरोड		
	दे.म./वि.म. वसुंधरा नगर रिंग रोड नं 2		
शासकीय भवन पर संचालित मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	देशी पुराना बस स्टैण्ड	2	
	विदेशी पुराना बस स्टैण्ड		

विधानसभा का नाम एवं क्रमांक	प्रकार	देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/बार /बॉटलिंग/आसवनी का नाम	संख्या
बिलासपुर (30)	किराया के भवन पर संचालित मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	देशी वसुन्धरा नगर	12
		विदेशी वसुन्धरा नगर	
		देशी बंधवापारा	
		देशी व्यापार विहार	
		देशी चुचहियापारा	
		प्रीमियम शॉप लिंकरोड बिलासपुर	
		विदेशी चुचहियापारा	
		दे.म.दु.लिंकरोड	
		वि.म.दु.लिंकरोड	
		प्रीमियम शॉप रामा मैग्नेटो मॉल	
		दे.म.दु.तोरवा	
		वि.म.दु.व्यापार विहार	
	संवेदनशील मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	देशी बंधवापारा	1
अधिकतम मदिरा बिक्री वाली मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	वि.म. पुराना बस स्टेण्ड	3	
	वि.म. व्यापारविहार		
	वि.म. वसुधरा नगर रिंग रोड नं 2		

विधानसभावार देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/बार/बॉटलिंग/आसवनी की जानकारी

विधानसभा का नाम एवं क्रमांक	प्रकार	देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/बार/बॉटलिंग/आसवनी का नाम	संख्या
बिल्हा (29)	कुल देशी मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	दे.म. सिरगिट्टी	4
		दे.म. बिल्हा	
		दे.म. बोदरी	
		दे.म. यदुनंदननगर	
	कुल विदेशी मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	वि.म. सिरगिट्टी	5
		वि.म. बिल्हा	
		वि.म. बोदरी	
		वि.म. परसदा	
	कुल कम्पोजिट मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	कम्पोजिट दुकान दगौरी	3
		कम्पोजिट दुकान तिफरा	
कम्पोजिट दुकान हरदीटोना			
कुल प्रीमियम मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	निरंक	0	
एफ.एल. 03 की सूची एवं संख्या	मोटल विलासपुर सिटी हाईटेक बस स्टैण्ड के पास तिफरा विलासपुर	1	
एफ.एल. 03 (क) की सूची एवं संख्या	निरंक	0	
एफ.एल. 4 (क) की सूची एवं संख्या	द पेट्रीशियन्स वेलफेयर सोसायटी सिरगिट्टी रायपुर रोड विलासपुर आर. डबल्यू. हॉस्पिटैलिटी क्लब हाऊस रामा वर्ल्ड रायपुर रोड विलासपुर	2	
एफ.एल. 06 की सूची एवं संख्या	निरंक	0	
एफ.एल. 07 की सूची एवं संख्या	निरंक	0	
एफ.एल. 08 की सूची एवं संख्या	निरंक	0	
बिल्हा (29)	बांटलिंग की सूची एवं संख्या	मेसर्स गोल्डन प्रिंस वाईन्स (इ) प्रा.लि.	3
		मेसर्स लिजेन्ड डिस्टलरीज प्रा.लि.	
		मेसर्स एजिस ब्रेवरेजेस प्रा.लि.	
	आसवनी की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एक साथ वाली मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	दे.म./वि.म. सिरगिट्टी	3
		दे.म./वि.म. बोदरी	
		दे.म./वि.म. यदुनंदननगर	
	शासकीय भवन पर संचालित मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	देशी बोदरी	3
		विदेशी बोदरी	
		कम्पोजिट शॉप तिफरा	
किराया के भवन पर संचालित मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	विदेशी यदुनंदन नगर	9	
	देशी यदुनंदन नगर		
	देशी बिल्हा		
	विदेशी बिल्हा		
	देशी सिरगिट्टी		
	विदेशी सिरगिट्टी		
	विदेशी परसदा		
	देशी हरदीटोना		
देशी दगौरी			
संवेदनशील मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	देशी/विदेशी मदिरा दुकान यदुनंदन नगर	2	
	कम्पोजिट शॉप दगौरी		
अधिकतम मदिरा बिक्री वाली मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	दे.म. बोदरी	4	
	दे.म. बिल्हा		
	वि.म. दगौरी (कम्पोजिट शॉप)		
	वि.म. तिफरा (कम्पोजिट शॉप)		

विधानसभावार देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/बार/बॉटलिंग/आसवनी की जानकारी

विधानसभा का नाम एवं क्रमांक	प्रकार	देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/बार/बॉटलिंग/आसवनी का नाम	संख्या
बेलतरा (31)	कुल देशी मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	दे.म. लिंगियाडीह	9
		दे.म. मधुबन	
		दे.म. सेंदरी	
		दे.म. रानीगांव	
		दे.म. बेलतरा	
		दे.म. चांटीडीह सब्जी मण्डी	
		दे.म. चांटीडीह	
		दे.म. मंगला बस्ती	
		दे.म. सरकण्डा	
	कुल विदेशी मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	वि.म. बेलतरा	8
		वि.म. मधुबन	
		वि.म. रानीगांव	
		वि.म. सेंदरी	
		वि.म. लिंगियाडीह	
		वि.म. चांटीडीह सब्जी मण्डी	
		वि.म. मंगला बस्ती	
		वि.म. सरकण्डा	

विधानसभा का नाम एवं क्रमांक	प्रकार	देशी / विदेशी / कम्पोजिट / प्रीमियम / बार / बॉटलिंग / आसवनी का नाम	संख्या
बेलतरा (31)	कुल कम्पोजिट मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	कम्पोजिट दुकान बिरकोना	5
		कम्पोजिट दुकान पौंसरा	
		कम्पोजिट दुकान मोपका	
		कम्पोजिट दुकान लखराम	
		कम्पोजिट दुकान छोटीकोनी	
	कुल प्रीमियम मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 03 की सूची एवं संख्या	होटल शिवम / रेड चिल्ली बार राजकिशोर नगर बिलासपुर	1
	एफ.एल. 03 (क) की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 4 (क) की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 06 की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 07 की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 08 की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	बांटलिंग की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	आसवनी की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एक साथ वाली मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	दे.म./वि.म. लिंगियाडीह	7
		दे.म./वि.म. मधुवन	
		दे.म./वि.म. सेंदरी	
		दे.म./वि.म. रानीगांव	
		दे.म./वि.म. बेलतरा	
		दे.म./वि.म. चांटीडीह सब्जी मण्डी	
		दे.म./वि.म. मंगला बस्ती	
	शासकीय भवन पर संचालित मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	देशी बेलतरा	11
		विदेशी बेलतरा	
		देशी रानीगांव	
विदेशी रानीगांव			
देशी सेंदरी			
विदेशी सेंदरी			
देशी मधुवन			
विदेशी मधुवन			
देशी चांटीडीह सब्जीमण्डी			
विदेशी चांटीडीह सब्जीमण्डी			
कम्पोजिट शॉप लखराम			
किराया के भवन पर संचालित मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	विदेशी मंगला बस्ती	11	
	देशी मंगला बस्ती		
	विदेशी सरकण्डा		
	देशी मोपका		
	देशी सरकण्डा		
	देशी छोटीकोनी		
	देशी पौंसरा		
	देशी चांटीडीह		
	विदेशी लिंगियाडीह		
	देशी लिंगियाडीह		
	देशी बिरकोना		
संवेदनशील मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	देशी / विदेशी मदिरा दुकान मधुवन	1	
अधिकतम मदिरा बिक्री वाली मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	दे.म. चांटीडीह सब्जी मण्डी	5	
	वि.म. मोपका (कम्पोजिट शॉप)		
	वि.म. छोटीकोनी (कम्पोजिट शॉप)		
	वि.म. सरकण्डा		
	वि.म. लिंगियाडीह		

विधानसभावार देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/बार/बॉटलिंग/आसवनी की जानकारी

विधानसभा का नाम एवं क्रमांक	प्रकार	देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/बार/बॉटलिंग/आसवनी का नाम	संख्या
मस्तूरी (32)	कुल देशी मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	दे.म. मल्हार	3
		दे.म. मस्तूरी	
		दे.म. सीपत	
	कुल विदेशी मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	वि.म. मल्हार	3
		वि.म. मस्तूरी	
		वि.म. सीपत	
	कुल कम्पोजिट मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	कम्पोजिट दुकान गतौरा	3
		कम्पोजिट दुकान जयरामनगर	
		कम्पोजिट दुकान जोंधरा	
	कुल प्रीमियम मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 03 की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 03 (क) की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 4 (क) की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 06 की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 07 की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 08 की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	बॉटलिंग की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	आसवनी की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एक साथ वाली मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	दे.म./वि.म. मल्हार	3
		दे.म./वि.म. मस्तूरी	
दे.म./वि.म. सीपत			
शासकीय भवन पर संचालित मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	कम्पोजिट शॉप जोंधरा	2	
	कम्पोजिट शॉप गतौरा		
किराया के भवन पर संचालित मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	विदेशी मस्तूरी	7	
	देशी मस्तूरी		
	देशी सीपत		
	विदेशी सीपत		
	देशी मल्हार		
	विदेशी मल्हार		
दे.म.दु.जयराम नगर			
संवेदनशील मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	कम्पोजिट शॉप जोंधरा	1	
अधिकतम मदिरा बिक्री वाली मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	दे.म. मल्हार	2	
	वि.म. जोंधरा (कम्पोजिट शॉप)		

विधानसभावार देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/बार/बॉटलिंग/आसवनी की जानकारी

विधानसभा का नाम एवं क्रमांक	प्रकार	देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/बार/बॉटलिंग/आसवनी का नाम	संख्या
कोटा (25)	कुल देशी मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	दे.म. कोटा	1
	कुल विदेशी मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	वि.म कोटा	1
	कुल कम्पोजिट मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	कम्पोजिट दुकान बेलगहना	1
	कुल प्रीमियम मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 03 की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 03 (क) की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 4 (क) की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 06 की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 07 की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 08 की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	बॉटलिंग की सूची एवं संख्या	मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्रा.लि.	1
	आसवनी की सूची एवं संख्या	मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्रा.लि.	1
	एक साथ वाली मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	दे.म./वि.म. कोटा	1
	शासकीय भवन पर संचालित मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	किराया के भवन पर संचालित मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	देशी कोटा विदेशी कोटा देशी बेलगहना	3
	संवेदनशील मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	कम्पोजिट शॉप बेलगहना	1
अधिकतम मदिरा बिक्री वाली मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	निरंक	0	

विधानसभावार देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/बार/बॉटलिंग/आसवनी की जानकारी

विधानसभा का नाम एवं क्रमांक	प्रकार	देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/बार/बॉटलिंग/आसवनी का नाम	संख्या
तखतपुर (28)	कुल देशी मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	दे.म. सकरी	2
		दे.म. तखतपुर	
	कुल विदेशी मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	वि.म सकरी	2
		वि.म तखतपुर	
	कुल कम्पोजिट मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	कम्पोजिट दुकान गनियारी	2
		कम्पोजिट दुकान उस्तापुर	
	कुल प्रीमियम मदिरा दुकानों की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 03 की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 03 (क) की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 4 (क) की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एफ.एल. 06 की सूची एवं संख्या	भरनी	1
	एफ.एल. 07 की सूची एवं संख्या	भरनी	1
	एफ.एल. 08 की सूची एवं संख्या	भरनी	1
	बाटलिंग की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	आसवनी की सूची एवं संख्या	निरंक	0
	एक साथ वाली मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	दे.म./वि.म. सकरी	2
		दे.म./वि.म. तखतपुर	
	शासकीय भवन पर संचालित मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	देशी तखतपुर	5
		विदेशी तखतपुर	
		देशी सकरी	
विदेशी सकरी			
कम्पोजिट शॉप गनियारी			
किराया के भवन पर संचालित मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	देशी उस्तापुर	1	
संवेदनशील मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	निरंक	0	
अधिकतम मदिरा बिक्री वाली मदिरा दुकान की सूची एवं संख्या	दे.म. तखतपुर	1	

सहायक आयुक्त आबकारी
जिला बिलासपुर (छ.ग.)